ISSN:0975-4431
RNI:MPHIN/2009/29572

नवीन सामाजिक शोध

नवीन सामाजिक शोध

अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

NAVEEN SAMAJIK SHODH

International Monthly Research Journal

वर्ष-8 अंक-9 (कुल अंक-93) नवम्बर 2016
मूल्य - 100 रूपये

International Research Journal
Research Journal Useful for
Social Development

नवीन सामाजिक शोध

मासिक शोध पत्रिका

अध्ययन एवं अनुसंधान पर
आधारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में
उत्कृष्ट कार्य करने पर
ISSN:0975-4431 प्राप्त हुआ

हम सभी क्षेत्रों विषयों पर वैज्ञानिकों प्रोफेसरों और शोधार्थीयों द्वारा तैयार शोध पत्रों का प्रकाशन करते हैं

शोधार्थीयों द्वारा अपना रिसर्च वर्क प्रारम्भ करने से पूर्व पांच शोध पत्रों के प्रकाशन की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए हिन्दी इंगलिश भाषाओं में शोध पत्रों का प्रकाशन करते हैं

सामान्यतः विज्ञान विषयों के शोध पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होते हैं किन्तु हम विज्ञान विषय के शोध पत्र भी हिन्दी भाषा में प्रकाशित करते हैं। जिससे हमारे मध्यप्रदेश के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर पाते हैं।

अतः हमारी पत्रिका में केवल उच्च गुणवत्ता प्राप्त अनुसंधानिक/शोध पत्र ही प्रकाशित किये जाते है।

प्रकाशक

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

नवीन सामाजिक शोध

इस अंक में

1. बालाघाट जिले के आर्थिक विकास में बांस उत्पादन.....डॉ.कुसुमलता उइके - 6
2. ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण महिलाओं का विकास.....नीलिमा चटर्जी - 13
3. प्रदूषण की समस्या .....नीलिमा चटर्जी - 18
4. बालिका शिक्षा विश्लेषणात्मक अध्ययन.....बसन्त भार्गव - 27
5. निराला के काव्य में राजनैतिक चैतना.....डॉ.भावना शर्मा - 37
6. भारतीय जनजातियां एक सामाजिक अध्ययन.....डॉ. मो. मतीन खान - 42
7. राजनैतिक दलों की महिला कार्यकर्ता की सामाजिक.....राखी बाला सिंगारे - 50
8. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति.....डॉ. विनोद कुमार अहिरवार - 59
9. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के.....अर्चना श्रीवास्तव - 65

सलाहकार मंडल

- **प्रो. डॉ. आई.एस. चौहान,** पूर्व कुलपति, बरकतुल्लाह एवं भोज विश्वविद्यालय, भोपाल–म.प्र.। फोन : 0755–2424777
- **प्रो. डॉ. विनोद पी. सक्सेना,** पूर्व कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर म.प्र.। फोन : 0755–2628055
- **प्रो. डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव,**
  पूर्व कुलपति, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर–म.प्र.।
- **प्रो. डॉ. राजपाल सिंह,** सदस्य, सलाहकार यूजीसी (उच्च शिक्षा) भारत सरकार। मो. 9425028689
- **डॉ. के. के. तिवारी**
  शिक्षाविद्, राज्यपाल अधिकृत ई.सी.सदस्य डीएवीवी इंदौर मो. **9893014415**
- **वरिष्ठ वकील श्री खलीलउल्लाह खान,** पूर्व चेयरमेन, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल–म.प्र.। मो. 9826225266
- **श्री आई.बी. सिंह,** पूर्व निदेशक, ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय, चित्रकूट–म.प्र.। मो. 9329138005
- **डॉ. ललित श्रीवास्तव, नेत्र विशेषज्ञ,** अध्यक्ष, मध्यप्रदेश डॉक्टर्स एसोसिएशन, भोपाल–म.प्र.। मो. 9827007500

संपादक मंडल

- **प्रो. संजय एस. अग्रवाल,** विभागाध्यक्ष, पीपुल्स मेडीकल कालेज
- **प्रो. अलका डेविड,** विभागाध्यक्ष,गृह विज्ञान, शा.सरोजनी नायडू कालेज,
- **प्रो. अरविंद चौहान,** बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल।
- **प्रो.आर.शंकर,** विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र, भारतीदर्शन विश्वविद्यालय, तिरूचरापल्ली–तमिलनाडु (620024)।
- **प्रो.परवेज अहमद अब्बासी,** विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, वी.एन.एस.जी. विश्वविद्यालय सूरत गुजरात,।
- **डॉ0 कुमारी चित्रा शर्मा** संत हिरदाराम कन्या महाविद्यालय, भोपाल
- **प्रो.डॉ. कामिनी जैन,** प्राचार्य शास. स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, पिपरिया
- **प्रो. आभा चौहान,** विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, जे.एण्ड के.।
- **डॉ. वंदना बक्शी,** सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग एक्सीलेंस कालेज, कोलार रोड, भोपाल।
- **डॉ. दिनेश परमार,** अनुवांशिकी विभाग, ब.वि., भोपाल।
- **डॉ. सुमंगला पटेरिया,** सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी विभाग। एक्सीलेंस कालेज, कोलार रोड, भोपाल
- **डॉ. आरती श्रीवास्वत,** सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग शासकीय कॉलेज नसरूल्लागंज।
- **डॉ.जितेन्द्र कुमार,** एसोसिएट प्रोफेसर, फैकल्टी आफ कामर्स एंड मैनेजमेंट, जी.जी.डी. एस.डी. (पीजी) कालेज, पलवल।
- **डॉ. कुसुमा भारद्वाज,** स.प्रा.,एक्सीलेंस कालेज, कोलार रोड, भोपाल।
- **डॉ. विपिन व्यास,** व्याख्याता, लिमनोलॉजी, ब.वि., भोपाल।
- **श्री अजय बिसारिया,**व्याख्याता, हिंदी विभाग, अ.मु.वि.,अलीगढ़–उ.प्र.।
- **डॉ. संदीप कुमार मल्होत्रा,** विभागाध्यक्ष गणित शा. संजय गांधी स्मृति स्नाकोत्तर, महाविद्यालय, गंजबासोदा म.प्र.
- **डॉ. विश्वनाथ मिश्रा,** पूर्व प्राचार्य (समाजशास्त्र) कालीचरन पी.जी. कालेज, लखनऊ
- **इंजि. रोहन गुप्ता,** एम–2/5, बी.डी.ए. कालोनी, लालघाटी, भोपाल
- **डॉ. अमित कुल्हार,** जिला पंचायत भोपाल
- **मो. अनवर** संवाददाता दैनिक पत्रिका भोपाल

सम्पादकीय

यह सराहनीय है कि केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच इस पर सहमति बन गई कि उच्च न्यायालयों में लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिए सेवानिवृत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। यह सहमति इसलिए अधिक उल्लेखनीय है, क्योंकि उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच उपजे मतभेद दूर नहीं हो पा रहे हैं और उसके चलते उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के करीब चार सौ पद रिक्त हैं। सबसे हैरान-परेशान करने वाला आंकड़ा यह है कि यदि उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का निस्तारण तेजी से नहीं किया गया तो जल्द ही उनकी संख्या एक करोड़ तक पहुंच सकती है। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लिए जाने को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच जो सहमति कायम हुई है उसके अनुरूप कदम उठाने में देर न हो। ध्यान रहे कि लंबित मामलों के बढ़ते बोझ के कारण न केवल न्यायपालिका और सरकार की छवि प्रभावित हो रही है, बल्कि सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर देश की साख पर भी बुरा असर पड़ रहा है। यदि लोगों को समय पर न्याय न सुलभ हो तो फिर हम लोकतंत्र का गुणगान करते नहीं रख सकते। यह अच्छी बात है कि सेवानिवृत न्यायाधीशों के चयन में उनके पिछले रिकार्ड के साथ-साथ उनकी प्रतिष्ठा को मापदंड बनाया जाएगा, लेकिन इस मामले में भी सरकार और न्यायपालिका का आकलन अलग-अलग हो सकता है। इसके चलते किसी तरह का गतिरोध न पैदा हो, यह दोनों पक्षों को सुनिश्चित करना होगा। 1 उम्मीद की जानी चाहिए कि सेवानिवृत न्यायाधीशों की सेवाएं लेने को लेकर दोनों पक्षों में जो सहमति बनी वह कोलेजियम व्यवस्था को दुरुस्त करने वाले मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर तक भी पहुंचेगी, क्योंकि सेवानिवृत न्यायाधीशों की सेवाएं लिया जाना एक गंभीर समस्या का फौरी समाधान ही अधिक है। अब जब उच्चतर न्यायपालिका में लंबित मामलों की सुधि ली जा रही है तब फिर यह आवश्यक हो जाता है कि निचली अदालतों में भी लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, क्योंकि इन अदालतों में लंबित मामलों की संख्या ढाई करोड़ तक पहुंच चुकी है। यह ठीक नहीं कि लंबित मुकदमों की जब भी चर्चा होती है तो वह उच्चतर न्यायपालिका में लंबित मामलों तक ही सीमित रहती है। निचली अदालतों के जरिये लोगों को समय पर न्याय उपलब्ध कराना मूलत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन यह काम मुश्किल से ही उनकी प्राथमिकता में नजर आता है। निश्चित रूप से न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरकर लंबित मुकदमों के निस्तारण में मदद मिलेगी, लेकिन यह धारणा एक सीमा तक ही सही है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर मुकदमों के बोझ को कम किया जा सकता है। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया की अन्य खामियों को भी दूर करने की जरूरत है। इन खामियों से सभी परिचित हैं। बेहतर होगा कि सरकार और न्यायपालिका के बीच इन खामियों को दूर करने के लिए भी कोई सहमति बने। इसका कोई औचित्य नहीं कि लंबित मुकदमों के बोझ को लेकर केवल एक-दूसरे की जिम्मेदारी की याद दिलाकर कर्तव्य की इतिश्री की जाती रहे।

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

बालाघाट जिले के आर्थिक विकास में बांस उत्पादन का योगदान

डॉ. कुसुमलता उइके
सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)
शासकीय महाविद्यालय कटंगी (बालाघाट)

प्रस्तावना

वन हमारी प्राकृतिक संपदा होने के साथ-साथ जीवनयापन का साधन भीं है। वन हमारी एक धरोवर है जो मनुष्य का साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक देती है। करोड़ों वर्षो पहले प्राचीन समय में वनों के उत्पादों द्वारा पृथ्वी में जीवन संभव था। आज विश्व भी वनों के संरक्षण से लेकर उनके बचाव तक प्रत्येक संभव प्रयास कर रहा है। विश्व में विभिन्न देशों में 'इको फ्रेंडली' का नारा लगाया जा रहा है। कहीं पर चिपको आंदोलन तो कहीं पर वनों को पुत्रों के समान आदर दिया जा रहा है।

बांस प्रकृति की अद्भुत देन है। संख्या तथा विविधता की दृष्टि से किसी उगाए जाने वाले पादप के इतने उपयोग नहीं होते जितने बांस के होते है। बांस की मानव जीवन में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बांस काष्ठीय अथवा वृक्षीय घास है। बांस न केवल भारतीय संस्कृति का वरन् संपूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशियाई संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारत में बांस की 125 स्वदेशी प्रजातियां है। लगभग पचास प्रतिशत से अधिक बांस की पैदावर उत्तरपूर्वी भारत-अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में होती है। इसके अतिरिक्त सामान्यत: छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र तथा मध्यप्रदेश के बालाघाट ,होशंगाबाद, मण्डला, पन्ना, सरगुजा जिलो के जंगलों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। बांस उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तल से लेकर शीतोष्ण क्षेत्रों में 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाये जाते है। बांसों का भौगोलिक वितरण वर्षा, तापमान ऊंचाई और मृदा की दशाओं पर निर्भर करता है। अपने व्यापक उपयोगों के कारण बांस उन प्रमुख पादपों की श्रेणी में आता है जो हमारे देश की संस्कृति और ग्रामीण जीवन के मुख्य आधार

हैं। एवं राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्त्रोत है।

अध्ययन की आवश्यकता

- बांस प्रकृति की अद्भुत देन है। संख्या तथा विविधता की दृष्टि से किसी उगाए जाने वाले पादप के इतने उपयोग नहीं होते जितने बांस के होते है।
- बांस की मानव जीवन में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपने व्यापक उपयोगों के कारण बांस उन प्रमुख पादपों की श्रेणी में आता है जो हमारे देश की संस्कृति और ग्रामीण जीवन के मुख्य आधार हैं।
- बांस की स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका है। बांस ग्रामीण रोजगार का प्रधान स्त्रोत बन रहा है क्योंकि गांव में रहने वाले करीगर तरह-तरह की वस्तुँए बनाने में बांस का उपयोग करते हैं। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायोचित आय वितरण किए जाने की संभावना भी इससे सुधरती जा रही है।

अध्ययन का उद्देश्य:-

- विगत वर्षों में बांस उत्पादकता एवं उससे प्राप्त राजस्व का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- बांस उत्पादन में कमी के कारणों का पता लगाना।
- बांस उत्पादन में वृद्धि हेतु उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन क्षेत्र:-

मध्यप्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित बालाघाट जिला 21019' से 22019' उत्तरी अक्षांश व 79039' से 81003' पूर्वी देशांतर में स्थित है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 9229 वर्ग किमी. है तथा 4775.50 वर्ग किमी. क्षेत्र अर्थात 52 प्रतिशत भाग में वन है। बालाघाट सामान्य वनमंडल की स्थापना वर्ष 1921 में की गई तथा बाद में वर्ष 1960 में उत्तर एवं दक्षिण सामान्य वनमंडल का गठन किया गया है। वनमंडल के अंतर्गत उष्ण कटिबधीय शुष्क पतझड़ वाले सागौन, बांस के जंगल, खास तौर पर पूर्व और पश्चिम लांजी परिक्षेत्र, इस मंडल की बांस कटायी का 85 प्रतिशत उत्पादन देते हैं और पूरे वनों की पैदावार का 72 प्रतिशत यहीं से मिलता है। इन वनों से न केवल निस्तार की मांग पूरी होती वरन् व्यापारिक प्रयोजनों के लिए भी इनकी भारी कटायी होती है। जो ओरिएन्ट पेपर मिल की आपूर्ति के लिए और भी बढ़ गयी है।

शोध प्रविधि व आँकड़ों का संकलन एवं विश्लेशण :-

प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक समंकों पर आधारित है। जिसमें विविध पत्र पत्रिकाओं व वन मंडल बालाघाट द्वारा जानकारी संकलित की गई है।

तालिका

बालाघाट वनवृत्त के अन्तर्गत वर्ष 1990–1991 से वर्ष 2012–2013 तक उत्पादन वनमंडलो द्वारा उत्पादित बॉस की जानकारी

वर्ष	पश्चिम उत्पादन वनमंडल	उत्तर उत्पादन वनमंडल	दक्षिण उत्पादन वनमंडल	बालाघाट वृत्त का योग
1990–1991	42879	35542	पश्चिम उत्पादन	78421
1991–1992	54271	42871	वनमंडल बालाघाट में समाहित था	97142
1992–1993	22475	21643	26009	70127
1993–1994	15932	18513	24692	59137
1994–1995	21441	17603	31455	70499
1995–1996	27886	29142	28203	59848
1996–1997	24486	16695	18403	59584
1997–1998	24711	16652	18233	59596
1998–1999	17405	23733	22921	64009
1999–2000	24098	32759	15751	72608
2000–2001	38101	22204	34124	94429
2001–2002	35669	24101	38327	98097
2002–2003	29787	23247	33793	86827
2003–2004	19719	31011	36367	87097
2004–2005	44642	20840	28271	93753
2005–2006	37009	28799	37802	103610
2006–2007	38853	28180	38387	105420
2007–2008	34766	32247	36171	103184
2008–2009	33998	27145	56544	117687
2009–2010	40584	38599	41780	120963
2010–2011	39699	37757	40869	118326
2011–2012	36185	34415	37252	107853
2012–2013	38323	36449	39453	114226

स्त्रोत – दक्षिण उत्पादन वन मंडल कार्यालय बालाघाट

उपर्युक्त सारणी का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि वर्ष 1990-92 में पश्चिम उत्पादन वन मंडल, उत्तर उत्पादन वनमंडल एवं दक्षिण उत्पादन वन मंडल में समाहित था तथा वर्ष 1993 से इस वनमंडल में बाँस उत्पादन प्रारम्भ किया गया। वर्ष 1992-93 से 2009-10 तक के सम्पूर्ण आँकड़ों का अवलोकन करने पर पाया कि सर्वाधिक बाँस उत्पादन 120963 नो टन वर्ष 2009-10 में उत्पादित किया गया व सबसे कम उत्पादन 1993-94 में 59137 नो टन किया गया। तीनो उत्पादन वनमंडलों के उत्पादन के योग करने पर समंको से यह स्पष्ट होता है कि कुछ वर्षों में बाँस उत्पादन की मात्रा मे उतार-चढ़ाव दिखाई दे रहा है किन्तु अधिकांश वर्षो में वृध्दि हुई है।.इससे यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र बालाघाट जिले में बाँस उत्पादन की मात्रा में बढ़ोत्तरी हो रही है

तालिका

बालाघाट वनवृत्त के अंतर्गत वर्ष 2002–2003 से वर्ष 2012–2013 तक राजस्व की जानकारी

वर्ष	राजस्व लक्ष्य (करोड़ में)	राजस्व प्राप्ति (करोड़ में)
2002–2003	16.00	22.28
2003–2004	25.00	28.64
2004–2005	32.69	40.58
2005–2006	17.98	36.78
2006–2007	29.08	46.38
2007–2008	47.00	51.60
2008–2009	52.35	50.29
2009–2010	63.12	66.74
2010–2011	63.49	64.06
2011–2012	59.13	58.39
2012–2013	57.73	61.84

स्त्रोतः– मुख्य वन संरक्षक कार्यालय बालाघाट

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि बालाघाट वन वृत्त के अन्तर्गत वर्ष 2002-2003 से 2012-2013 तक राजस्व की स्थिति को स्पष्ट किया गया है इसके अन्तर्गत वर्ष 2002-03 में राजस्व

लक्ष्य निर्धारण 16.00 करोड रखा गया जहाँ राजस्व की प्राप्ति 22.28 करोड़ प्राप्त की गई। इसी तरह व 2002-03 से लेकर 2012-13 तक के ऑकड़ों का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि ग्यारह वर्शों में से नौ वर्षों में राजस्व प्राप्ति की मात्रा निर्धारित राजस्व लक्ष्य से अधिक रहा व केवल दो वर्ष ही उत्पादन लक्ष्य से कम रहा इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र बालाघाट जिले में लघुवनोपज बाँस के उत्पादन से प्राप्त राजस्व की मात्रा में आशातीत वृध्दि हुई है।

बालाघाट जिले में चटाई एवं अन्य सामग्री निंमाण उद्योग :

- मुख्यतः उक्वा, दलदला, करवाई, गोंगाटोला, समनापुर, उक्वा, वारासिवनी, लांजी, लालबर्रा, लामता, हट्टा, किरनापुर समस्त क्षेत्रों में चटाई बनाई जाती है ।
- अनुमानतः 1500 परिवार चटाई, टोकनी, लालटेन, सूपा आदि का कार्य कर रहे हैं ।
- एक चटाई जिसका साईज 4'6 फिट में पांच बांस की खपत होती है ।
- यह कार्य वर्षा ऋतु को छोड़कर आठ माह तक चलता रहा है ।
- प्रत्येक परिवार औसतन 120-125 चटाई आठ मांह में निर्माण करता है ।
- प्रत्येक वर्ष 1500'12 = 180000 चटाई का निर्माण बालाघाट जिले में होता है
- बिक्रय दर 100 प्रति दर से किया जाता है ।
- कुल बांस की खपत 900000 बांस की खपत होती है ।

निर्मित सामग्री एवं बिक्री :-

बालाघाट के अन्तर्गत गर्रा/बैहर समूहो के द्वारा सामग्री निर्माण का कार्य किया जाता है सामग्री निर्माण हेतु कच्चा माल क्रय किया जाकर सी.एफ.सी. गर्रा में रखा जाता है । आवश्यक्तानुसार कच्चा माल गर्रा/बैहर समूह को प्रदाय किया जाता है प्रदाय कच्चे माल से उक्त समूहो के द्वारा विभिन्न प्रकार की फर्निचर सामग्री का निर्माण किया जाकर सी.एफ.सी. गर्रा को प्रदाय किया जाता है । तदउपरान्त निर्मित सामग्री की फाइनल फिनिशिगं सी.एफ.सी. गर्रा में स्थापित मशीनों के माध्यम से मास्टर शिल्पीयों द्वारा किया जाता है। फाईल फिनिशिंग के बाद सामग्री बालाघाट स्फूर्ति बेम्बू विक्रय केन्द्र भेजी जाती है जहाँ से सामग्री का विक्रय स्थानीय बाजार हॉट तथा समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तर के आयोजित होने वाले मेलो में प्रर्दशित किया जाता है तथा विक्रय भी किया जाता है । मेलो में प्रर्दशित सामग्री के आधार पर सामग्री की मॉग में वृद्वि होती और आर्डर प्राप्त होते है जिसके आधार पर सामग्री का निर्माण किया जाकर बिक्री जाती है ।

बॉस से निर्मित फर्निचर पर हुये व्यय एवं विक्रय से प्राप्त आय की जानकारी वर्षवार निम्नानुसार है :-

क्रमांक	वर्ष	निर्मित सामग्री पर व्यय राशि	विक्रित सामग्री से प्राप्त राशि
1	2008–09	—	—
2	2009–10	48845.00	81250.00
3	2010–11	349560.00	731320.00
4	2011–12	465285.00	473560.00
5	2012–13	401815.00	434608.00
6	2013–14	204330.00	379750.00
	योग :–	1469835.00	2100488.00

बांस उत्पादन में कमी के कारण:- बांस उत्पादन में निम्न कारणों से कमी/ह्रस होता है होता है जो निम्न प्रकार से हैं–

- भौतिक प्रगति
- अग्नि की घटनाँए
- अवैध कटाई
- अवैध चराई
- पर्यावरण में बदलाव

बांस उत्पादन में वृद्धि के उपाय :-

- नये निकासी मार्गों का निर्माण
- आंकलित अनुमानित उत्पादन को समय पर विदोहित करने हेतु मजदूरों की व्यवस्था
- निजी क्षेत्रों में बांस रोपण को प्रोत्साहन
- विदोहन एवं परिवहन कराने वाले स्टॉफ को प्रोत्साहित करना

निष्कर्ष :- देश में मध्यप्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है जिसके दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित बालाघाट जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र फल 9229 वर्ग किमी. है जिसमें 4775.50 वर्ग किमी. वनाच्छादित है व विभिन्न प्रकार की वन सम्पदाओं से परिपूर्ण है। इन सम्पदाओं में बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला वनोपज है जिस का राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांग है। बालाघाट जिला व्यापारिक बांस के व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र है। जहाँ से पूरे हिन्दुस्तान में बांस निर्यात होता है। इसके

साथ-साथ स्थानीय अर्थ व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस शौध अध्ययन से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए है :-

- बांस उत्पादन से प्रति वर्ष राजस्व की प्राप्ति होती है।
- बांस ग्रामीण रोजगार का एक प्रमुख साधन है।
- निजि पड़त भूमि में बांस उत्पादन से प्राप्त आय।
- कूपों से बांस विदोहन के कार्य में उत्पन समस्याएँ जैसे - निकासी मार्गो का आभाव, नक्सल प्रभावित क्षेत्र आदि।

सुझाव:-

बांस की स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका है तथा इसका व्यापारिक महत्व राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त बांस उत्पादन में वृद्धि हेतु सुझाव हैं-

- बांस की गोलाई व लंबाई का निर्धारण उचित रूप से किया जाना चाहिए।
- दुर्गम क्षेत्रों में निकासी मार्गो का निर्माण किया जाए जिससे बांसों का विदोहन सरलतापूर्वक हो सके।
- निजी क्षेत्रों में बांस रोपण को प्रोत्साहन करना चाहिए जिससे निजी पड़त भूमि में अधिक मात्रा में बांस रोपण करने से वनों पर अश्रिता कम होगी एवं बांस क्षेत्र विकसित हो सकेंगे।
- निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में रोपणी के माध्यम से बांस क्षेत्र को बढ़ाकर बांस विक्रय से अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इससे शासन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीणों को काफी मुनाफा होगा।

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण महिलाओं का विकास

नीलिमा चटर्जी
सहायक प्राध्यापक
समाजशास्त्र विभाग
शासकीय महाविद्यालय, बरेली (म.प्र.)

भारत गांवो का देश है और इसकी 78 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती हैं अतः भारत के विकास के लिए आवश्यक हैं ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण महिलाओं का विकास। भारतीय समाज पूर्णतया पुरूष प्रधान समाज था जहां पुरूष की वर्चस्व छाया में जीवन व्यतीत करती थी। उच्च वर्ग की महिलाऐं उपनिवेशवादी युग में घर के अंदर रहती थी किंतु किसान महिलाऐं अपने परिवार के भरणपोषण के लिए खेतो में काम करती थी। भारत में ब्रितानी सत्ता के विरूद्ध राष्ट्रीय आंदोलन महिलाऐं विकास के लिए चलाए गये आंदोलन की सहगामी थी। विभिन्न विकास योजनाओं, नीतियों तथा कार्यक्रमों से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, शिशु मृत्युदर में कमी, साक्षरता में वृद्धि, रोजगार मे बढ़ोत्तरी तथा अन्य क्षेत्रों में महिला सहभागिता में वृद्धि कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां है।

लैंगिक अधिकारिता की ग्रामीण विकास में भूमिका — श्रीवास्तव मयंक के अनुसार भारत के सविंधान में पंचायतों के माध्यम से महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। पंचायती राज संस्थाओं में सामान्य सभा तथा पंचायतों के कार्यकारी निकायों में कम से कम एक तिहाई महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आर्थिक मोर्चे पर महिला विकास निगमों की स्थापना की गई है ताकि महिला उद्यमियों की पहचान की जा सके, लाभप्रद परियोजना तैयार की जा सके, बैंको और वित्तिय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की जा सकें तथा तकनीकी व प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान

किया जा सकें। इंदिरा महिला योजना इंदिरा महिला खण्ड समितियों और जमीनी स्तर पर इंदिरा महिला केन्द्रों के माध्यम से लागू की जाती है। राष्ट्रीय महिला कोष के अधीन अर्ध अनौपचारिक ऋण वितरण तंत्र के माध्यम से महिलाओं को सशक्त भी बनाया जा रहा है ताकि संभावित महिला उद्यमियों को सस्ती दरों पर ऋण मुहैया कराया जा सकें। संगठन ने और भी बहुत सारी अन्य पहल की है जिससे ग्रामीण विकास को नई दिशा मिल सके। पंचायतों की रूपरेखा व कल्पना सदियों पुरानी है। पुरातनकाल से चली पंचायतें देश आजाद होने के बाद और सशक्त हुई। इसमें सच्चाई है कि पुरातनकाल से ज्यादा महिलाओं को पंचायतों में अधिकार मिले हैं। पंचायतों के सशक्त होने से देश के गांवों में जीवन स्तर में सुधार दिख रहा हैं। आज पंचायते ग्राम स्तर पर पारदर्शिता की बात कर रहीं है। यानी ईमानदारीपूर्वक कोशिश होने से गांवों में जीवन स्तर सुधर रहा हैं।

शिक्षा के स्तर, रोजगार तथा सामाजिक जीवन में महिला की भागीदारी का असर परिवार नियोजन पर पड़ता है। किसी दंपति के बच्चों की संख्या, पति–पत्नि की शिक्षा, पति के माता पिता की शिक्षा के स्तर और पति के भाई–बहनों की शिक्षा पर निर्भर करता है। महिला के शिक्षित होने से उसकी उपार्जन क्षमता में वृद्धि होती हैं एवं घर के हिसाब किताब में बच्चों को शिक्षित करनें में महिलाऐं सहायक भूमिका निभाती है। गरीबी जनसंख्या नियंत्रण में महिला की सक्रिय सहभागिता के लिए बाधक है। महिलाओं की गरीबी का प्रत्यक्ष संबंध, आर्थिक अवसरों के अभाव, आत्मनिर्भरता का न होना, ऋण सहित आर्थिक संसाधन का न होना, भू–स्वामित्व तथा उत्तराधिकारी का न होने, शिक्षा अन्य सेवाऐं तथा निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी न होने से गरीबी के कारण ही महिलाओं का अधिक शोषण होता है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन महिलाओं की सृजनात्मक क्षमता में विकास करके किया जा सकता है। इसके लिए पूंजी, ऋण, भूमि, तकनीकि, सूचना सहायक तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराना होगा। महिला आंदोलन और विभिन्न स्तरों पर लोगों के सामूहिक और सतत प्रयासों का नतीजा हैं कि देश के 21 वीं शताब्दी में प्रवेश करते हुए महिलाऐं एक ताकत के रूप में उभर रहीं हैं। इस प्रक्रिया में ठेठ गांवों में से एक सजग व सक्रिय नेतृत्व उभर कर आ रहा है। अगर इस नेतृत्व का सही उपयोग किया जाए तो यह देश में महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति को बदलने में एक प्रभावी और उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकता है।

2001 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले तीन दशकों में महिलाओं की शिक्षा दर दुगने से ज्यादा हो गई हैं। 1971 में यह 22 प्रतिशत थी जो 2001 में बढ़कर 54 प्रतिशत हो गई हैं। यह इस बात का संदेश हैकि भारत में महिलाऐं एक ऐसे महत्वपूर्ण जनसमूह में तब्दील हो रही हैं जिनसे भविष्य में मानव ऊर्जा और समाज दोनों का स्वरूप बदलेगा। महिलाओं कि प्रस्थिति में दूसरा

बड़ा बदलाव एक मतदाता और एक उम्मीदवार दोनों के रूप में पंचायतीराज में उनकी भागीदारी के रूप में देखा जा सकता है। संविधान के 73वें व 74वें संशोधन से उन्हें संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण मिला है। ये दोनो ऐसे संकेतक हैं जिनका जाति,धर्म या समुदाय के भेदभाव के बिना पूरे समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

सामाजिक–जनांकिकी प्रास्थिति– समाज में महिलाओं की भूमिका व स्थिति का अध्ययन करने पर पाया गया हैं कि महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण क्या हैं, महिलाओं के प्रति समाज का व्यवहार क्या हैं, स्वास्थ्य शिक्षा जैसी आवश्यक सुविधाओं तक उसकी कितनी पहुंच है।

समाज का महिला के प्रति दृष्टिकोण– भारतीय समाज में एक महिला किस तरह के कपड़े पहनेगी या फिर एक विधवा किस तरह का जीवन यापन करेगी इसका निर्धारण हमारे रीति–रिवाजों और परम्पराओं से होता हैं। स्पष्ट है कि महिलाऐं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। देश के बड़े हिस्से में पर्दा प्रथा है। इससे महिलाऐं उन क्षेत्रों व क्रिया–कलापों में आसानी से भाग नहीं ले पाती हैं जिसमें पुरूष प्रमुख भूमिका निभाते है।

सन् 2001 के जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक भारत में महिलाओं की संख्या 49 करोड़ 57 लाख 40 हजार यानि कुल जनसंख्या का 48.3 प्रतिशत महिलाऐं हैं। यह एक सार्वजनिक तथ्य है कि महिलाओं की उम्र पुरूषों से ज्यादा होती हैं। दूसरी ओर यही भी सही है। पुरूषों की अपेक्षा उनकी संख्या कम हैं। प्रति वर्ष प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है। 1971 में यह संख्या 930 थी जो 1981 मे बढ़कर 934 हो गई पर 1991 में घटकर 927 पर आ गई। 2001 में इसमें हल्की बढ़ोत्तरी हुए और 933 हो गई। अब जो प्रयास किये जा रहे हैं अनुमान है। कि 2016 तक महिलाओं का औसत 948 हो जाएगा।

भारत के गांवो में माताजी की मृत्युदर दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। इसका एक मुख्य कारण गर्भकाल में डाक्टर को दिखाकर आवश्यक पोषण व चिकित्सा नहीं लेना है। राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि 40–50 फीसदी महिलाओं को ही गर्भावस्था में चिकित्सकीय मदद मिल जाती है। 15 से 29 वर्ष की महिलाओं की एक चौथाई मौतें गर्भावस्था संबंधी किसी भी कारण से होती हैं और इस एक चौथाई में से दो तिहाई ऐसी होती है जिन्हें रोका जा सकता है। महाराष्ट्र में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक 92 प्रतिशत महिलाएं सर्वाधिक स्त्री रोगों की शिकार है।

सामाजिक स्थिति :– आज पूरी दुनिया में महिलाओं के प्रति हिंसा देखी जा रही हैं जो मानव अधिकारों का स्पष्ट हनन हैं। यह घटनाऐं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हर 26 मिनट में एक महिला से छेड़छाड़ होती है, 34 मिनट मे एक बलात्कार होता है। और 42वें मिनट पर योन शोषण की घटना

होती हैं। हर 43वें मिनट पर एक महिला को दहेज के कारण जलाया जाता है।

समाज में महिलाओं का दोयम दर्जा:– भारत एक पुरूष प्रधान समाज हैं जहां स्त्री को दोयम दर्जे का माना जाता है। समाज में महिलाओं के प्रति बहुत से कारण हैं जिससे महिलाओं की स्थिति निम्न है। जिसमे बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे कारण भी महिला की स्थिति को निम्न बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

वर्तमान कानून में 1976 में संशोधन किया गया और लड़की की विवाह की आयु 15 साल से बढ़कर 18 और लड़के की 18 से बढ़कर 21 कर दी गई। सामान्यतया कुल जन्मों का 10–15 प्रतिशत महिलाओं की किशोरावस्था में ही हो जाता हैं। राजस्थान में 1993 में 5000 महिलाओं पर किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक 56 फीसदी की शादी 15 साल की उम्र से पहले ही हो गई थी। उनमें से 18 फीसदी साक्षर थी और 3 फीसदी परिवार नियोजन के किसी उपकरण का इस्तेमाल कर रही थी। महिलाओं के चार साल से कम उम्र के 63 फीसदी बच्चे बेहद कमजोर और कुपोषित थें।

आर्थिक स्थिति:– भारत में 2001 में ग्रामीण क्षेत्र में 30.9 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 11.55 प्रतिशत महिलाएं कार्यबल में थी जबकि पुरूषों का प्रतिशत गांवों में 52 प्रतिशत और शहरों में 50.80 प्रतिशत था। 2001 में काम में महिलाओं की कुल भागीदारी 25.7 प्रतिशत, 1999 में संगठित क्षेत्र में उनकी उपस्थिती 17.2 प्रतिशत व सार्वजनिक क्षेत्र में मात्र 14.5 प्रतिशत, 1999–2000 में 14 प्रतिशत शिक्षित महिलाओं का बेराजगार होना और 90 फीसदी महिलाओं का असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में निरंतर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते रहना। ये सभी आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के साथ बहुत ही सूक्ष्म पर नियोजित तरीके से भेदभाव किया जाता है और रोजगार तक उनकी पहुंच को सीमित किया जाता हैं।

राजनीतिक प्रास्थिति :– भारत की जनगणना 2001 के अंतरिम आंकड़े महापंजीयक व जनगणना आयुक्त भारत सरकार के अनुसार 1987 में भारतीय प्रशासनिक या फिर पुलिस जैसी प्रमुख संवाओं में मात्र 5.4 फीसदी महिलाएं थी। 2000 में यह प्रतिशत 7.6 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1993 में सविधान में किए गए 73 वें व 74 वें संशोधन से एक निश्चित संख्या में महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में आई। 475 जिला परिषदों में से 158 में महिला जिला प्रमुख हैं और 51000 ब्लॉक समितियों में से 17000 की प्रमुख महिलाऐं हैं। नगर पालिकाओं में भी एक तिहाई की मेयर महिलाऐं हैं। 1993 और 1997 के स्वायतशासी निकायों के चुनाव में कई राज्यों में महिलाऐं 33 प्रतिशत के आंकड़े को भी पार कर चुकी है।

महत्वपूर्ण विचारणीय/चिंता के क्षेत्र :– ग्रामीण महिलाओं में बहुत सी ऐसी समस्यायें हैं जिसमें

महिलाओं की स्थिति शोचनीय एवं विचारणीय है। चिंता के विषयानुसार कुपोषण, स्वास्थ्य में खराबी, शिक्षा का अभाव, काम का बोझ, अकुशलता, हिंसा एवं अधिकारविहीन समस्यायें हैं। जिसमें महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है।

ग्रामीण महिलाओं के अवसर :– सरकार ने केन्द्रीय तथा तीन राज्य समाज कल्याण बोर्डों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के रोजगार के लिए कई योजनाऐं चला रखी हैं। दुग्ध उद्योग एवं हस्तकरघा विकास के क्षेत्र में महिलाओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों से महिलाओं को काफी लाभ मिला है। केन्द्र और राज्य ग्रामीण विकास विभागों द्वारा शिल्प प्रशिक्षण लाभ्ज्ञ मिला है। ड्वाकरा (डी. डब्ल्यू.ए.सी.आर.ए.) के तहत जिला स्तर पर ग्रामीण महिलाओं में समूह में शिल्प प्रशिक्षण, रोजगार सृजन तथा विपणन हेतु किये जा रहे प्रयास सफल हुए हैं। इसके तहत लाखों महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हुआ हैं। कृषि, उद्योग, पर्यावरण तथा विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालयों के विकास योजनाओं में रोजगार हेतु महिला प्रशिक्षण के प्रावधान हैं। जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र में ग्रमीण महिलाओं के लिए चलने वाले रोजगार सृजन के कार्यक्रमों से महिलाओं को पर्याप्त अवसर मिले हैं।

संदर्भ :

योजना आयोग, भारत सरकार (2002), दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002–07, भाग –एक,दो व तीन, योजना आयोग, नई दिल्ली

समानता की ओर, भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट, समाजकल्याण विभाग, शिक्षा व समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 1974, नई दिल्ली।

मजदूमदार, वी.के.शर्मा व एस आचार्य (1979) भारत के कृषि व ग्रामीण विकास मे महिलाओं की भागीदारी के राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्लेषण व समीक्षा, आई सी एस ढस आर, नई दिल्ली

सिंह राय डी.के., (1992) किसान आंदोलन में महिलाऐं, मनोहर पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

श्रीवास्तव मयंक, ग्रामीण भारत की बदलती तस्वीर, कुरूक्षेत्र, अक्टूबर 2013, पेज नं. 11,

विकास कुमार सिन्हा, पंचायतों से सुधर रही हैं गांवों में जिन्दगी, सितम्बर 2013 पेज नं. 39

Singh A. (2002), Empowerment of Women in India, Manak Publication, New Delhi.

Kapoor P., 1976 The Changing Status of Working Women in India, Delhi.

Kaur Jagdish, 2007, Indian Women on the Move, Hind Publisher, Ludhiana.

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

प्रदूषण की समस्या

नीलिमा चटर्जी
सहायक प्राध्यापक
समाजशास्त्र विभाग
शासकीय महाविद्यालय, बरेली (म.प्र.)

बढ़ता प्रदूषण वर्तमान समय की एक सबसे बड़ी समस्या है, जो आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में तेजी से बढ़ रहा है। इस समस्या से समस्त विश्व अवगत तथा चिंतित है। प्रदूषण के कारण मनुष्य जिस वातावरण या पर्यावरण में रहा है, वह दिन–ब–दिन खराब होता जा रहा है।

कहीं अत्यधिक गर्मी सहन करनी पड़ रही है तो कहीं अत्यधिक ठंड। इतना ही नहीं, समस्त जीवधारियों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रकृति और उसका पर्यावरण अपने स्वभाव से शुद्ध, निर्मल और समस्त जीवधारियों के लिए स्वास्थ्य–वर्द्धक होता है, परंतु किसी कारणवश यदि वह प्रदूषित हो जाता है तो पर्यावरण में मौजूद समस्त जीवधारियों के लिए वह विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है।

ज्यों–ज्यों मानव सभ्यता का विकास हो रहा है, त्यों–त्यों पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। इसे बढ़ाने में मनुष्य के क्रियाकलाप और उनकी जीवनशैली काफी हद तक जिम्मेवार है। सभ्यता के विकास के साथ–साथ मनुष्य ने कई नए आविष्कार किए हैं जिससे औद्योगीकरण एवं नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है।

जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य दिन–प्रतिदिन वनों की कटाई करते हुए खेती और घर के लिए जमीन पर कब्जा कर रहा है। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे न केवल भूमि बल्कि, जल भी प्रदूषित हो रहा है। यातायात के विभिन्न नवीन साधनों के प्रयोग के कारण ध्वनि एवं वायु प्रदूषित हो रहे हैं।

गौर किया जाए तो प्रदूषण वृद्धि का मुख्य कारण मानव की अवांछित गतिविधियां हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करते हुए इस पृथ्वी को कूड़े–कचरे का ढेर बना रही है। कूड़ा–कचरा इधर–उधर फेंकने से जल, वायु और भूमि प्रदूषित हो रहे, जो संपूर्ण प्राणी–जगत के स्वास्थ्य के लिए

हानिकारक हैं।

पर्यावरण प्रदूषण चार प्रकार का होता है–

जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण।

जल प्रदूषण

जल समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। आधुनिक मानव सभ्यता के विकास के साथ जल प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। औद्योगीकरण के कारण शहरीकरण की प्रवृत्ति दिन–प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जो पहले गांव हुआ हुआ करते थे, वे अब विभिन्न उद्योगों की स्थापना के बाद शहरों में तब्दील हो रहे हैं।

शहरों में अत्यधिक आबादी होने के कारण फ्लैट निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ताकि एक फ्लैट में तीन से छह परिवार आसानी से रह सकें। इन फ्लैटों में कम स्थान पर पानी की आवश्यकता अधिक होती है और वहां के भूमिगत जल भंडार पर दवाब बढ़ रहा है। डीप बोरिंग निर्माण करते हुए वहां के भूमिगत जल का दोहन किया जा रहा है।

पर्यावरण–प्रदूषण और हमारा दायित्व

उद्योगों के अत्यधिक निर्माण से उनसे निकलने वाले दूषित जल, बचे हुए, रसायन कचरा आदि को नालियों के रास्ते नदी में बहा दिया जाता है। फ्लैट में रहने वाले लोगों के दैनिक क्रियाकलापों से उत्पन्न कचरे को नदी किनारे फेंका जाता है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित होता है।

शहर के समीप रहने वाली बस्तियों में उचित शौचालय की व्यवस्था नहीं होती, या होती भी है तो यह सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती है, जिससे वहां लो। प्रायः नदी या तालाब किनारे की जमीन या नालियों का प्रयोग शौच के लिए करते हैं। बारिश में यह सारी गंदगी नदियों या तालाबों में जा मिलती है।

बस्तियों में कचरे की निकासी की उचित व्यवस्था न होने पर प्रायः लोग कचरे को तालाब या नदी के पानी में डाल देते हैं। तालाबों एवं नदियों के पानी का इस्तेमाल नहाने एवं कपड़े धोने के अलावा पशुओं को नहलाने के लिए भी किया जाता है, जिससे उनके शरीर की गंदगी पानी में घुल जाती है। कपड़े धोए जाते हैं, कचरा, मल–मूत्र डाला जाता है, पुराने कपड़े शवों की राख, सड़े–गले पदार्थ डाले जाते हैं, इतना ही नहीं कभी–कभी शवों को नदियों में बहा दिया जाता है।

नदियों, तालाबों के जल एवं भूमिगत जल को तो मनुष्यों ने प्रदूषित किया ही है। प्रदूषित करने में इसने सागर के जल को भी नहीं छोड़ा। सागर किनारे कई स्थलों पर पर्यटकों का आना–जाना लगा रहता है, जिससे सागर किनारे कई छोटी–बड़ी बस्तियां बस गई हैं। वहां के लोगों का जीवनयापन

पर्यटकों को विभिन्न प्रकार की सामग्रियां बेचकर होता है।

उन बस्तियों में किसी प्रकार के शौचालय की व्यवस्था नहीं है, अगर है भी तो वे सुचारू रूप से कार्यरत नहीं है, जिसके कारण बस्ती के लोग सागर के पानी में ही शौच करते हैं तथा घर के कुड़े–कचरे को भी सागर के जल में बहा देते हैं, जिससे सागर का जल प्रदूषित होता है। विभिन्न तकनीकों के विकास के कारण सागर के जल में बड़े–बड़े जहाज चलते हैं, जो यात्रियों के आवागमन एवं सामग्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं।

जहाज अपनी साफ–सफाई के पश्चात् गंदगी को प्रायःसमुद्र के पानी में डाल देते हैं। कभी–कभी किसी दुर्घटनावश जहाज डूब जाता है तो उसमें मौजूद रासायनिक पदार्थ, तेल आदि समुद्र के पानी में मिल जाते हैं और लंबे समय तक उसमें रहने वाले जीव–जंतुओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते रहते हैं।

जल दूषित हो जाने के कारण कुछ जीव तत्काल मर जाते हैं और जल को और अधिक प्रदूषित कर देते हैं। दूषित जल में रहने वाले जलीय जीवों का सेवन करने से मनुष्य भी बीमार पड़ते हैं। विकसित देश प्रायः अपने देश की गंदगी व ई–कचरा को समुद्र में डाल देते हैं, जिससे जल बुरी तरह से दूषित होता है।

प्रारंभ में जब तकनीक का विकास नहीं हुआ था, तब लोग प्रकृति व पर्यावरण से सामंजस्य बैठकर जीवनयापन करते थे, परंतु तकनीकी विकास एवं औद्योगीकरण के कारण आधुनिक मनुष्य में आगे बढ़ने की होड़ उत्पन्न हो गई। इस होड़ में मनुष्य को केवल अपना स्वार्थ दिखाई पड़ रहा है।

वह यह भूल गया है कि इस पृथ्वी पर उसका वजूद प्रकृति एवं पर्यावरण के कारण ही है। यह भी पर्यावरण प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। प्राकृतिक रूप से जल में जीवों के मरने व जीव–जंतुओं के नहाने से ही जल प्रदूषित हो सकता है, परंतु मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए न केवल जल का प्रयोग नहाने व पीने के लिए करता है, बल्कि उसमें घर का कचरा, उद्योगों का कचरा भी डालता है।

किसान खेतों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, ताकि उनकी फसल अच्छी हो, फसल में कीड़े न लगें, इसलिए कीटनाशकों का भी छिड़काव किया जाता है। वर्षा के पानी के साथ ये सभी रासायनिक तत्त्व तालाब और नदी–नालों में चले जाते हैं और वहां के जल को प्रदूषित करते हैं।

उद्योग अपनी गंदगी को सीधे तौर पर नदियों–नालों में डालते ही हैं, साथ ही उनके धुएं की निकासी सही तरीके से नहीं की जाती है, जिससे धुएं का तैलीय अंश आस–पास के संचित जल भंडार के ऊपर एक काली परत के रूप में जमा रहता है और जल को प्रदूषित करता है।

मनुष्य ने न केवल जल को प्रदूषित किया है, बल्कि अपने विभिन्न क्रियाकलापों एवं तकनीकी वस्तुओं के प्रयोग द्वारा वायु को भी प्रदूषित किया है। वायुमंडल में सभी प्रकार की गैसों की मात्रा निश्चित है। प्रकृति में संतुलन रहने पर इन गैसों की मात्रा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता, परंतु किसी कारणवश यदि गैसों की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है तो वायु प्रदूषण होता है।

अन्य प्रदूषणों की तुलना में वायु प्रदूषण का प्रभाव तत्काल दिखाई पड़ता है। वायु में यदि जहरीली गैस घुली हो तो वह तुरंत ही अपना प्रभाव दिखाती है और आस–पास के जीव–जंतुओं एवं मनुष्यों की जान ले लेती है। भोपाल गैस कांड इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। विभिन्न तकनीकों के विकास से यातायात के विभिन्न साधनों का भी विकास हुआ है।

एक ओर जहां यातायात के नवीन साधन आवागमन को सरल एवं सुगम बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर ये पर्यावरण को प्रदूषित करने में अहम् भूमिका निभाते हैं। नगरों में प्रयोग किए जाने वाले यातायात के साधनों में पेट्रोल और डीजल ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पेट्रोल और डीजल के जलने से उत्पन्न धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है।

औद्योगिकरण के युग में उद्योगों की भरमार है। विभिन्न छोटे–बड़े उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिल जाते हैं। ये गैस वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर पहुंचते हैं और गंधक का अम्ल बनाते हैं, जो पर्यावरण व उसके जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है।

चमड़ा और साबुन बनाने वाले उद्योगों से निकलने वाली दुर्गंध–युक्त गैस पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। सीमेंट, चूना, खनिज आदि उद्योगों में अत्यधिक मात्रा में धूल उड़ती है और वायु में मिल जाती है, जिससे वायु प्रदूषित होती है। धूल मिश्रित वायु में सांस लेने से प्रायः वहां काम करने एवं रहने वालों को रक्तचाप हृदय रोग, श्वास रोग, आंखों के रोग और टी.बी. जैसे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है।

जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से मनुष्य के रहने का स्थान दिन–ब–दिन छोटा पड़ता जा रहा है, इसलिए मनुष्य वनों की कटाई का अपने रहने के लिए आवास का निर्माण कर रहा है। शहरों में एलपीजी तथा किरोसीन का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है, जो एक प्रकार की दुर्गंध वायु में फैलाते हैं।

कुछ लोग जलावन के लिए लकड़ी या कोयले का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अत्यधिक धुआं निकलता है और वायु में मिल जाता है। स्थान एवं जलावन के लिए मनुष्य वनों की कटाई करते हैं। वनों की कटाई से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा

बढ़ रही है और वायु प्रदूषित हो रही है। मनुष्य द्वारा विभिन्न प्रकार के तकनीकी उपकरणों का सहारा लेकर विस्फोट, गोलाबारी, युद्ध आदि किए जाते हैं।

विस्फोट होने से अत्यधिक मात्रा में धूलकण वायुमंडल में मिल जाते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। बंदूक का प्रयोग एवं अत्यधिक गोलीबारी से बारूद की दुर्गंध वायुमंडल में फैलती है। संप्रति मनुष्य अपने आराम के लिए प्लास्टिक की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं और टूटने या फटने की स्थिति में उन्हें इधर–उधर फेंक देता है। सफाई कर्मचारी प्रायः सभी प्रकार के कचरे के साथ प्लास्टिक को भी जला देते हैं, जिससे वायुमंडल में दुर्गंध फैलती है।

तकनीक संबंधी नवीन प्रयोग करने के क्रम में कई प्रकार के विस्फोट किए जाते हैं तथा गैसों का परीक्षण किया जाता है। इस दरम्यान कई प्रकार की गैस वायुमंडल में घुलकर उसे प्रदूषित करती है। हानिकारक गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण 'एसिड रेन' होती है, जो मानव के साथ–साथ अन्य जीवित प्राणियों तथा कृषि–संबंधी कार्यों के लिए घातक होती है।

दफ्तर एवं घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले फ्रिज और एयरकंडीशनरों के कारण क्लोरो–फ्लोरो कार्बन का निर्माण होता है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी त्वचा की रक्षा करने वाली ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। विभिन्न उत्सवों के अवसर पर अत्यधिक पटाखेबाजी से भी वायु प्रदूषित होती है। वायु प्रदूषण से पर्यावरण अत्यधिक प्रभावित होता है।

भूमि समस्त जीवों को रहने का आधार प्रदान करती है। यह भी प्रदूषण से अछूती नही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य के रहने का स्थान कम पड़ता जा रहा है, जिससे वह वनों की कटाई करते हुए अपनी जरूरत को पूरा कर रहा है। वनों की निरंतर कटाई से न केवल वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, बल्कि जमीन में रहने वाले जीव–जंतुओं का भी संतुलन बिगड़ रहा है।

पेड़, भूमि की ऊपरी परत को तेज वायु से उड़ने तथा पानी में बहने से बचाते हैं और भूमि उर्वर बनी रहती है। पेड़ों की निरंतर कटाई से भूमि के बंजर बनने एवं रेगिस्तान बनने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इस प्रकार वनों की कटाई से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। प्रकृति के संतुलन में परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जनसंख्या वृद्धि से अनाज की मांग भी बढ़ गई है।

कृषक अत्यधिक फसल उत्पादन के लिए रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं एवं फसल को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशकों का भी छिड़काव करते हैं, जिससे भूमि प्रदूषित होती है। भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है तथा कचरे का ढेर यहां–वहां बिखेरा जा रहा है। भूमिगत जल के अलावा भूमि में मौजूद खनिज पदार्थों का अत्यधिक दोहन करने से भूस्खलन की समस्या

उत्पन्न होती है।

कचरे के रूप में प्लास्टिक का क्षय नहीं होता। वह जिस स्थान पर अत्यधिक मात्रा में होता है, वहां के पेड़–पौधों में उचित वृद्धि नहीं हो पाती, जिससे भूमि दूषित होती है। तकनीकी युग में आधुनिक मानव ने कई नए हथियारों का आविष्कार कर लिया है, ताकि सरलतापूर्वक शत्रु का नाश किया जा सके। युद्ध में इन हथियारों का प्रयोग किए जाने से युद्धभूमि में तो अत्यधिक लोग मारे ही जाते हैं, साथ ही आस–पास के इलाकों में भी जीव–जंतु मारे जाते हैं, जिससे भूमि प्रदूषित होती है।

मानव सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरण में ध्वनि प्रदूषण गंभीर समस्या नहीं थी, परंतु मानव सभ्यता ज्यो–ज्यों विकसित होती गई और आधुनिक उपकरणों से लैस होती गई, त्यों–त्यों ध्वनि प्रदूषण की समस्या विकराल व गंभीर हो गई है। संप्रति यह प्रदूषण मानव जीवन को तनावपूर्ण बनाने में अहम् भूमिका निभाता है। तेज आवाज न केवल हमारी श्रवण शक्ति को प्रभावित करती है, बल्कि यह रक्तचाप, हृदय रोग, सिर दर्द, अनिद्रा एवं मानसिक रोगों का भी कारण है।

औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में देश के कोने–कोने में विविध प्रकार के उद्योगों की स्थापना हुई है। इन उद्योगों में चलने वाले विविध उपकरणों से उत्पन्न आवाज से ध्वनि प्रदूषित होती है। विभिन्न मार्गों चाहे वह जलमार्ग हो, वायु मार्ग हो या फिर भू–मार्ग, सभी तेज ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वायुमार्ग में चलने वाले हवाई जहाज, रॉकेट एवं हेलीकॉप्टर की भीषण गर्जन ध्वनि प्रदूषण बढ़ाने में सहायक होती है।

जलमार्ग में चलने वाले जहाजों का शोर एवं भू–मार्ग में चलने वाले वाहनों के इंजन की आवाज के साथ उनके हॉर्न ध्वनि–प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। मनोरंजन एवं जन–संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा तेज आवाज में ध्वनि प्रेषित की जाती है। लाउडस्पीकरों द्वारा सभा एवं जलसों में बोलकर सभा को संबोधित किया जाता है एवं सूचना प्रेषित की जाती है। विभिन्न उत्सवों के अवसर पर जोर–जोर से गाने बजाए जाते हैं।

जन–संपर्क अभियान चलाने के लिए भी लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाता है और जनता तक सूचना प्रेषिक की जाती है। विज्ञापन दाता भी कभी–कभी अपने उत्पादों का प्रचार तेज आवाज में करते हैं। डीप बोरिंग करवाने के क्रम में, क्रशर मशीन चलाने, डोजर से खुदाई करवाने के क्रम में अत्यधिक शोर होता है। शादी, विवाह या धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर वाद्य यंत्रों का अत्यधिक शोर ध्वनि को प्रदूषित करता है। इसके अलावा यह अनावश्यक असुविधाजनक और अनुपयोगी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं।

पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी होगी, ताकि

आवास के लिए वनों की कटाई न हो। खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हो, इसके लिए रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के स्थान पर जैविक खाद का इस्तेमाल करना होगा। कूड़े–कचरे को पुनः प्रयोग करना होगा, जिससे यह पृथ्वी कूड़े–कचरे का ढेर बनने से बच जाएगी।

कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी को सीधे नदी–नाले में न डालकर, उनकी सफाई करते हुए नदियों में बहाना होगा। यातायात के विभिन्न साधनों का प्रयोग जागरुकता के साथ करना होगा। अनावश्यक रूप से हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जब जरूरत न हो तब इंजन को बंद करना एवं नियमित रूप से गाड़ी के साइलेंसर की जांच करवानी होगी, ताकि धुएं के अत्यधिक प्रसार को नियंत्रित किया जा सके।

उद्योगपतियों को अपने स्वार्थ को छोड उद्योगों की विमनियों को ऊंचा करना होगा तथा उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करना होगा। हिंसक क्रियाकलापों पर रोक लगानी होगी। सबसे जरूरी बात यह कि लोगों को पर्यावरण संबंधी संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए जागरुक बनाना होगा, तभी प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

आम लोगों को जागरुक बनाने के लिए उन्हें पर्यावरण के लाभ और उसके प्रदूषित होने पर उससे होने वाली समस्याओं की विस्तृत जानकारी देनी होगी। लोगों को जागरुक करने के लिए उनके मनोरंजन के माध्यमों द्वारा उन्हें आकर्षक रूप में जागरुक करना होगा। यह काम समस्त पृथ्वीवासियों को मिलकर करना होगा, ताकि हम अपने उस पर्यावरण को और प्रदूषित होने से बचा सके, जो हमें जीने का आधार प्रदान करता है। अत्यधिक शोर उत्पन्न करने वाले वाहनों पर रोक लगानी होगी।

प्रदूषण चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, हर हाल में मानव एवं समस्त जीवधारियों के अलावा जड़–पदार्थों को भी नुकसान पहुंचाती है।

पर्यावरण की सुरक्षा से ही प्रदूषण की समस्या को सुलझाया जा सकता है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों के मेल से बना है–परि और आवरण । 'परि' शब्द का अर्थ है बाहरी तथा आवरण का अर्थ है कवच अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है बाहरी कवच, जो नुकसानदायक तत्वों से वातावरण की रक्षा करता है। यदि हम अपने पर्यावरण को ही असुरक्षित कर दें तो हमारी रक्षा कौन करेगा?

इस समस्या पर यदि हम आज मंथन नहीं करेंगे तो प्रकृति संतुलन स्थापित करने के लिए स्वयं कोई भयंकर कदम उठाएगी और हम मनुष्यों को प्रदूषण का भयंकर परिणाम भुगतना होगा। प्रदूषण से बचने के लिए हमें अत्यधिक पेड़ लगाने होंगे। प्रकृति में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करने से बचना होगा। हमें प्लास्टिक की चीजों के इस्तेमाल से परहेज करना होगा। कूड़े–कचरे को इधर–उधर नहीं फेंकना होगा। वर्षा के जल का संचय करते हुए भूमिगत जल को संरक्षित करने

का प्रयास करना होगा। पेट्रोल, डीजल, बिजली के अलावा हमें ऊर्जा के अन्य स्रोतों से भी ऊर्जा के विकल्प ढूंढने होंगे। सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा के प्रयोग पर बल देना होगा। अनावश्यक एवं अनुपयोगी ध्वनियों पर रोक लगानी होगी। तकनीक के क्षेत्र में नित्य नए--नए प्रयोग व परीक्षण हो रहे हैं।

हमें ऐसी तकनीक का विकास करना होगा, जिससे यातायात के साधनों द्वारा प्रदूषण न फैले। सबसे अहम बात यह है कि हम मनुष्यों को अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए सकारात्मक सोच रखनी होगी तथा निःस्वार्थ होकर पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए कार्य करना होगा। हमें मन में यह ध्येय रखकर कार्य करना होगा कि हम स्वयं अपने आपको, अपने परिवार, को देश को और इस पृथ्वी को सुरक्षित कर रहे हैं। मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए वातावरण का शुद्ध होना परम आवश्यक होता है। जब से व्यक्ति ने प्रकृति पर विजय पाने का अभियान शुरु किया है, तभी से मानव प्रकृति के प्राकृतिक सुखों से हाथ धो रहा है। मानव ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है, जिससे अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियाँ जन्म ले रही हैं। पर्यावरण में निहित एक या अधिक तत्वों की मात्रा अपने निश्चित अनुपात से बढ़ने लगती हैं, तो परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है। पर्यावरण में होने वाले इस घातक परिवर्तन को ही प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है

वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहनों की बढ़ती हुई संख्या है। वाहनों से उत्सर्जित हानिकारक गैसें वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड , कार्बन डाईऑक्साइड , नाइट्रोजन डाईऑक्साइड और मीथेन आदि की मात्रा बड़ रही हैं। लकड़ी, कोयला, खनिज तेल, कार्बनिक पदार्थों के ज्वलन के कारण भी वायुमंडल दूषित होता है। औद्योगिक संस्थानों से उत्सर्जित सल्फर डाई – ऑक्साइड और हाईड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें प्राणियों तथा अन्य पदार्थों को काफी हानि पहुँचाती हैं। इन गैसों से प्रदूषित वायु में साँस लेने से व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता ही है, साथ ही लोगों का जीवन – स्तर भी प्रभावित होता है।

जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण साफ जल में कारखानों तथा अन्य तरीकों से अपशिष्ट पदार्थों को मिलाने से होता है। जब औद्योगिक अनुपयोगी वस्तुएँ जल में मिला दी जाती हैं, तो वह जल पीने योग्य नहीं रहता है। मानव द्वारा उपयोग में लाया गया जल अपशिष्ट पदार्थों य जैसे – मल – मूत्र , साबुन आदि गंदगी से युक्त होता है। इस दूषित जल को नालों के द्वारा नदियों में बहा दिया जाता है। ऐसे अनेकों नाले नदियों में भारी मात्रा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहे हैं। ऐसा जल पीने योग्य नहीं रहता और इसे यदि पी लिया जाए, तो स्वास्थ्य में विपरीत असर पड़ता है।

मनुष्य के विकास के साथ ही उसकी आबादी भी निरंतर बढ़ती जा रही है। बढ़ती आबादी की खाद्य संबंधी आपूर्ति के लिए फसल की पैदावार बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए मिट्टी की

उर्वकता शक्ति बढाने का प्रयास किया जाता है। परिणामस्वरूप मिट्टी में रासायनिक खाद डाली जाती है , इसे ही भूमि प्रदूषण (ठीनउप च्तंकनींद) कहते हैं। इस खाद ने भूमि की उर्वरकता को तो बढ़ाया परन्तु इससे भूमि में विषैले पदार्थों का समावेश होने लगा है। ये विषैले पदार्थ फल और सब्जियों के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उसके स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल रहे हैं। मनुष्य ने जबसे वनों को काटना प्रारंभ किया है, तब से मृदा का कटाव भी हो रहा है।

ध्वनि प्रदूषण बड़े – बड़े नगरों में गंभीर समस्या बनकर सामने आ रहा है। अनेक प्रकार के वाहन, लाउडस्पीकर और औद्योगिक संस्थानों की मशीनों के शोर ने ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया है। इससे लोगों में बधिरता, सरदर्द आदि बीमारियाँ पाई जाती हैं।

प्रदूषण को रोकने के लिए वायुमंडल को साफ – सुथरा रखना परमावश्यक है। इस ओर जनता को जागरुक किया जाना चाहिए। बस्ती व नगर के समस्त वर्जित पदार्थों के निष्कासन के लिए सुदूर स्थान पर समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जो औद्योगिक प्रतिष्ठान शहरों तथा घनी आबादी के बीच में हैं, उन्हें नगरों से दूर स्थानांतरित करने का पूरा प्रबन्ध करना चाहिए। घरों से निकलने वाले दूषित जल को साफ करने के लिए बड़े – बड़े प्लाट लगाने चाहिए। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण को सर्वाधिक प्राथमिकता देना चाहिए। इस प्रकार प्रदूषण युक्त वातावरण का निर्माण किया जा सकेगा।

संदर्भ :–

पर्यावरणीय समस्याएं, विधि और प्रौद्योगिकी – एक भारतीय परिप्रेक्ष्य. रमेश चन्द्रप्पा और रवि.डी. आर, रिसर्च इंडिया प्रकाशन, दिल्ली, 2009, ैठछ 978–81–904362–5–0

रसेल होपफेनबर्ग और डेविड पिमेंटेल ह्युमन पॉप्युलेशन नंबर्स एस अ फंक्शन ऑफ फूड सप्लाई वपसबतंी.बवउ

नैशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी. 1995. पानी आशा की एक कहानी. वॉशिंगटन (डीसी) नैशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी

द पॉलिटीक्स ऑफ टॉइलेट्स, बोलोजी

मुंबई स्लम– धारावी, नैशनल ज्योग्राफिक, मई 2007

ए.एस. पराशर द्वारा लुधियाना हेडिंग फॉर अ भोपाल–लाइक ट्रेजडी पंजाब रिवर्स आर नाउ हेविली पल्युटेड. ट्रिब्यून, अगस्त 1997.

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

बालिका शिक्षा विश्लेषणात्मक अध्ययन

बसन्त भार्गव
शोध छात्र
समाजशास्त्र विभाग बरकतुल्लाह वि.वि. भोपाल

भारत सरकार ने सभी को शिक्षा प्रदान करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। बावजूद इसके एशिया महाद्वीप में भारत में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। 2001 की जनगणना (स्रोत– भारत 2006, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार) के अनुसार देश की 49.46 करोड़ की महिला आबादी में मात्र 53.67 प्रतिशत महिलाएँ हीं साक्षर थी। इसका मतलब यह है कि भारत में आज लगभग 22.91 करोड़ महिलाएँ निरक्षर हैं।

इस निम्न स्तरीय साक्षरता का नकारात्मक असर सिर्फ महिलाओं के जीवन स्तर पर ही नहीं अपितु उनके परिवार एवं देश के आर्थिक विकास पर भी पड़ा है। अध्ययन से यह पता चलता है कि निरक्षर महिलाओं में सामान्यतया उच्च मातृत्व मृत्यु दर, निम्न पोषाहार स्तर, न्यून आय अर्जन क्षमता और परिवार में उन्हें बहुत ही कम स्वायतता प्राप्त होती है। महिलाओं में निरक्षरता का नकारात्मक प्रभाव उसके बच्चों के स्वास्थ्य एवं रहन–सहन पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, हाल में किये गये एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि शिशु मृत्य दर और माताओं की शैक्षणिक स्तर में गहरा संबंध है। इसके अतिरिक्त, शिक्षित जनसंख्या की कमी देश के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है

भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विधालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत प्रथम दो वर्ष तक एक अलग योजना के रूप में सर्व शिक्षा अभियान, बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर

पर शिक्षा दिलाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम व महिला समाख्या योजना के साथ सामंजस्य बैठाते हुए शुरू की गई थी, लेकिन 1 अप्रैल, 2007 से इसे सर्व शिक्षा अभियान में एक अलग घटक के रूप में विलय कर दिया दिया।

योजना का विस्तार व प्रकृति

यह योजना वर्ष 2004 से उन सभी पिछड़े क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता का दर राष्ट्रीय स्तर (46.13 प्रतिशत) से कम हों और 2001 की जनगणना के अनुसार लिंग भेद राष्ट्रीय औसत– 21.59 से अधिक हों। इन प्रखण्डों में स्कूल की स्थापना निम्न कुछ बातों को ध्यान में रखकर किया जायेगा–

ऐसे क्षेत्र जहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की जनसंख्या अधिक हो और उनमें महिला साक्षरता की दर काफी निम्न और स्कूल से बाहर रहने वाली (अर्थात् स्कूल न जाने वाली) बालिकाओं की संख्या काफी अधिक हो।

ऐसे क्षेत्र जहाँ निम्न महिला साक्षरता दर हो या

ऐसे क्षेत्र जहां छोटे व बिखड़े हुए निवास हों और वहाँ स्कूल की स्थापना संभव नहीं हों

1 अप्रैल, 2008 से निम्न तथ्यों को शामिल करते हुए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना के लिए पात्र प्रखण्डों की शर्तों में संशोधन किया गया है –

देश के 316 शिक्षित रूप से पिछड़े प्रखण्ड जहाँ ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता दर काफी कम है, इसमें शामिल किया गया है।

देश के 94 शहर या कस्बा जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के महिलाओं की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 53.67 से कम (अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय के अनुसार) है, को इस योजना में शामिल किया गया है।

भारत सरकार ने देश के दूर–दराज क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति ध्जनजाति ध पिछड़े वर्गध अल्पसंख्यक समुदाय के बालिकाओं के लिए प्रारंभिक स्तर पर 750 आवासीय विद्यालय (ठहरने की सुविधा सहित) खोलने के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत की है। यह नई योजना, प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत चल रही योजनाएँ जैसेरू सर्व शिक्षा अभियान, प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा महिला समाख्या के साथ मिलकर कार्य करेंगी।

कार्यक्षेत्र एवं आच्छादन

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय राज्य के शैक्षिक रूप से पिछड़े वैसे प्रखंडों में प्रारम्भ

की जानी है जहां जनगणना 2001 के अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से नीचे हो तथा साक्षरता का लैंगिक अन्तर (जेन्डर गैप) राष्ट्रीय औसत से ऊपर हों (राष्ट्रीय ग्रामीण महिला साक्षरता दर 46.58 प्रतिशत तथा राष्ट्रीय जेन्डर गैप 21.70 प्रतिशत है)। यदि उस क्षेत्र में एकाधिक विद्यालय हो तो वैसी स्थिति में उस विद्यालय का चयन किया जाएगा जिसकी अपनी पर्याप्त भूमि हो तथा छात्राओं की संख्या दूसरे विद्यालय की तुलना में अधिक हो।

वैसे क्षेत्र जहां अधिक संख्या में छोटे–छोटे बिखरे हुए निवास स्थल हों जो विद्यालय के लिए उपयुक्त नहीं हो।

अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय की घनी आबादी हो, महिला साक्षरता दर नीचे हो एवंध अथवा विद्यालय से बाहर लड़कियों की संख्या सर्वाधिक हो।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित हैं

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का मुख्य उद्देश्य विषम परिस्थितियों में जीवन–यापन करने वाली अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है।

माता–पिताध्अभिभावकों को उत्प्रेरित करना जिससे बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भेजा जा सके।

मुख्य रूप से ऐसी बालिकाओं पर ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर (अनामांकितध छीजनग्रस्त) हैं तथा जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है।

विशेषकर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमनेवाली जाति या समुदायों की बालिकाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना।

75 प्रतिशत अनुसूचित जातिध्जनजातिध्अत्यन्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं तथा २५ प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार की बच्चियों को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर नामांकन कराना।

योजना के अंतर्गत 10वीं योजना में चरणबद्ध ढ़ंग से 500–750 के बीच आवासीय विद्यालय, प्रति स्कूल 19.05 लाख रुपये के आवर्ती लागत और 26.25 लाख रुपये के अनावर्ती लागत मूल्य के अनुमानित लागत पर खोला जायेगा। प्रारंभ में, स्थान के निर्धारण के बाद, प्रस्तावित विद्यालय भाड़े के भवन या उपलब्ध सरकारी भवनों में खोला जायेगा।

ऐसे आवासीय विद्यालय केवल उन पिछड़े प्रखंडों में खोले जायेंगे जहाँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय मामले के मंत्रालय के अंतर्गत बालिकाओं के प्रारंभिक शिक्षा के लिए

कोई आवासीय विद्यालय न हो। इसका सुनिश्चय सर्व शिक्षा अभियान के जिला स्तरीय पदाधिकारी, अन्य विभागध्मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित कर कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय पहल के लिए वास्तविक जिला स्तरीय योजना तैयार करते समय करेंगे। आसानी से कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के चयन के लिए, भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे शैक्षणिक परिसर की सूची भी संलग्न की जायेगी।

योजना के प्रमुख घटक

वैसे स्थान पर आवासीय विद्यालय की स्थापना करना जहाँ अनुसूचित जातिध्जनजातिध पिछड़े वर्गध अल्पसंख्यक समुदाय के कम से कम 50 लड़कियाँ प्राथमिक स्तर पर पढ़ने के लिए तैयार या उपलब्ध हों। योग्य बालिकाओं के आधार पर यह संख्या 50 से अधिक भी हो सकती है। इस तरह के विद्यालय के लिए तीन संभव मॉडल की पहचान की गई है और उसे अनुसूची 1 (क) से 1(ग) में दिया गया है। संशोधित वित्तीय प्रतिमान 1 अप्रैल, 2008 के बाद से स्वीकृत नवीन कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के लिए लागू होंगी। जबकि 2180 कार्यरत विद्यालयों के लिए मार्च 2007 तक जारी राशि के लिए शेष स्वीकृत राशि 1 अप्रैल, 2008 की दर से देय होगा।

इन विद्यालयों को जरूरी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करनाध्उपलब्ध कराना।

विद्यालय के लिए शिक्षण –प्रवीणता सामग्री और सहायता प्रदान करना।

जरूरी अकादमिक सहायता प्रदान करने और मूल्यांकन व संचालन के लिए उचित तंत्र की व्यवस्था करना।

बालिका को आवासीय विद्यालय भेजने के लिए अभिभावक एवं छात्राओं को प्रेरित एवं तैयार करना।

प्राथमिक स्तर पर थोड़ी बड़ी लड़कियों पर जोर होगी जो स्कूल से बाहर हैं और अपना प्राथमिक विद्यालय (10.) पूरी करने में अक्षम हैं। हालाँकि, दूरदराज के क्षेत्रों के (खानाबदोशी जनसंख्या व बिखड़े निवास स्थान जहाँ प्राथमिकध्उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा नहीं है) बड़ी उम्र की लड़कियों को भी शामिल किया जा सकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर जोर, विशेष रूप से किशोरियों पर होगी जो नियमित स्कूल में जाने में सक्षम नहीं हैं।

योजना के दिशा–निर्देश के अनुसार ऐसे आवासीय विद्यालय में 75 प्रतिशत सीटों पर अनुसूचित जातिध्जनजातिधपिछड़े वर्गध्अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जायेगी। उनके बाद केवल शेष 25 प्रतिशत सीटों पर ऐसी बालिकाओं का नामांकन होगा जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से आते हों।

जहाँ तक संभव हो, स्थापित स्वयं सेवी संस्थाएं और अन्य गैर लाभकारी निकायों को, ऐसे स्कूल को चलाने में शामिल किया जायेगा। इन आवासीय विद्यालयों का व्यावसायिक घरानों द्वारा भी ग्रहण किया जा सकता है। इस मामले में एक अलग दिशा–निर्देश जारी किया गया है।

स्वयं सेवी संस्था का चयन

करस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के मॉडल– 3 में 50 छात्राओं हेतु छात्रावास की व्यवस्था की जानी है। महिला समाख्या जिलों में छात्रावास का संचालन महिला समाख्या के माध्यम से किया जाएगा जबकि गैर महिला समाख्या जिलों में छात्रावास के संचालन हेतु इच्छुक स्वयं सेवी संस्था तथा स्थानीय निकाय से आवेदन आमंत्रित किए जायेंगे। इस परिस्थिति में उपर्युक्त स्वयं सेवी संस्था के चयन हेतु निम्न शर्तें निर्धारित की गयी हैंरू

स्वैच्छिक संस्थाओं का निबंधन कम से कम पांच वर्ष पूर्व होना आवश्यक है।

स्वैच्छिक संस्थाओं का नाम किसी काली सूची (ठसंबा सपेजमक) में नहीं होनी चाहिए।

पूर्व में इन्हें प्रारंभिक एवं अनौपचारिक विद्यालयोंधशिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो।

स्वैच्छिक संस्था के पास आन्तरिक संसाधन (प्दतिंजतनबजनतम) उपलब्ध हों।

स्वैच्छिक संस्था को अगर भारत सरकारध्राज्य सरकार से पूर्व में वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है तो योजनाध्परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया हो।

स्वैच्छिक संस्था का अपना स्मृति पत्र होना चाहिए।

स्वैच्छिक संस्था का अंकेक्षण प्रतिवेदन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के द्वारा कम से कम तीन वर्षों का होना अनिवार्य है।

वैसे स्वयं सेवी संस्था को प्राथमिकता दी जाएगी जो किराये का भवन लेकर या अन्य व्यवस्था कर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संचालन कर सकने में स्वयं सक्षम हों।

उपर्युक्त बिन्दुओं के आलोक में स्वयं सेवी संस्था का चयन किया जाएगा। प्रारंभ में जिला कार्यालय को उनके साथ आगामी एक वर्ष तक के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संचालन हेतु एक समझौता पत्र (डव्) पर हस्ताक्षर करना होगा। एक वर्ष पश्चात् चयनित स्वयं सेवी संस्था के कार्य की समीक्षा की जाएगी एवं संतोषजनक उपलब्धि की प्राप्ति की स्थिति में स्वयं सेवी संस्था के साथ अनुबंध ा अवधि का विस्तार किया जा सकेगा।

कार्यान्वयन,-संचालन व मूल्यांकन

यह योजना, महिला समाख्या राज्यों में, राज्य सरकार द्वारा महिला समाख्या सोसाइटी के माध्यम

से जबकि अन्य राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी के माध्यम से लागू की जायेगी। राज्य सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी को निधि सर्व शिक्षा अभियान मानक के अनुसार जारी की जाएगी। राज्य व जिला स्तर पर योजना का संचालन व मूल्यांकन महिला समाख्या संसाधन केन्द्र द्वारा और गैर महिला समाख्या राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी में प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए गठित समिति, करेगी।

आवासीय विद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण, जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रखंड संसाधन केन्द्र और महिला समाख्या संसाधन समूह के सहयोग से किया जायेगा।

राज्य सहायता समूह

प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ई.जी.ई.एल) योजना के तहत् स्वीकृत राज्य स्तरीय समन्वय समिति, कार्यक्रम को निर्देशन और सहायता प्रदान करेगी। इस समूह में राज्य सरकार के संबंधित विभाग व भारत सरकार के प्रतिनिधि, बालिका शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञ व शिक्षाविद् आदि भी शामिल होंगे। इस समिति द्वारा विद्यालय के उपयुक्त मॉडल एवं स्थान का निर्धारण, जिला समिति द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ई.जी.ई.एल.) एवं नये प्रस्तावित योजना के सिफारिश के आधार पर की जायेगी।

राष्ट्रीय सहायता समूह

राष्ट्रीय सहायता समूह को राष्ट्रीय स्तर पर महिला समाख्या कार्यक्रम के अंतर्गत गठन किया गया है जो कार्यक्रम में उठने वाले अवधारणात्मक मुद्दे एवं मामले पर अपनी प्रतिक्रिया एवं सुझाव देंगे और बालिका शिक्षा के बारे में भारत सरकार को नीतिगत मामले में सलाह देंगे। यह समूह, शोध व प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षाविद् और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ इंटरफेस (अंतरमुख) प्रदान करेगी और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में और लोगों के अनुभव को शामिल करेगा।

राष्ट्रीय सहायता समूह जिसमें कम लोग शामिल होते और वे साल में केवल दो से तीन बार मिलते हैं, राष्ट्रीय सहायता समूह का लघु उप समिति का गठन रू शिक्षकों को लिंग प्रशिक्षण (जेन्डर ट्रेनिंग), लिंग आधारित शिक्षण–प्रवीणता सामग्री का विकास, दृश्य–श्रव्य कार्यक्रम का विकास आदि विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाएगा। इसके लिए वह संबंधित संस्थाओं से अतिरिक्त कर्मियों या उस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ की सेवा भी प्राप्त कर सकेगा।

कार्य प्रणाली

बालिकाओं की संख्या और प्रदान किये जाने वाले आवासीय विद्यालय के प्रकार के आधार पर स्कूल के प्रारूप का चयन, इस उद्देश्य के लिए जिला समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर, राज्य

स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। जहाँ जरूरी हो प्रस्ताव राष्ट्रीय स्तर पर गठित सेल को अग्रसारित किया जायेगा जो बाह्य अभिकरण या परामर्शदाता की सहायता से उसका मूल्याँकन करेगा।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रतिमानक

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के लिए केन्द्र सरकार, राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए वित्तीय अंशदान का नियम सर्व शिक्षा अभियान के समान होगा, जैसा कि यह 1 अप्रैल, 2007 से सर्व शिक्षा अभियान के एक घटक के रूप में कार्यरत है।

सर्व शिक्षा अभियान के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय भागीदारी नौवीं योजना अवधि के दौरान 85–15 दसवीं योजना में 75रू25 तथा उसके बाद यह 50–50 की होगी। लागत को वहन करने की वचनबद्धता राज्य सरकारों से. लिखित रूप में ली जाएगी।

सर्व शिक्षा अभियान और प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ई.जी.ई.एल) के लिए पहले से ही तैयार प्रावधान में, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना का प्रावधान अतिरिक्त प्रावधान होगा। सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना को प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ई.जी.ई.एल) व महिला समाख्या कार्यक्रम के साथ समन्वय स्थापित करने को सुनिश्चित करेंगे। यह इस बात का भी सुनिश्चित करेंगे कि उसके लिए निर्गत या दी गई निधि उचित रूप से निवेश हों तथा एक ही गतिविधियों का दोनों जगह दोहरापन न हो।

भारत् सरकार, इस उद्देश्य के लिए निधि सीधे सर्व शिक्षा अभियान क्रियान्वयन समिति को जारी करेगी। राज्य सरकारें भी अपना हिस्सा राज्य क्रियान्वयन सोसाइटी को जारी करेगी। उसके बाद, जहाँ जरूरी हो, वहाँ निधि महिला समाख्या सोसाइटी को जारी किया जायेगा। उन राज्यों में जहाँ महिला समाख्या को क्रियान्वित नहीं किया गया हो, वहाँ इस योजना का क्रियान्वयन सर्व शिक्षा अभियान.सोसाइटी के जेन्डर यूनिट के माध्यम से की जायेगी और सर्व शिक्षा अभियान के लिए उपयोग में लाये जा रहे विद्यमान तंत्र को उपयोग में लाया जायेगा।

राज्य सोसाइटी को कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना निधि को संचालित करने के लिए बैंक में एक अलग जमा खाता (सेविंग्स अकाउंट) खुलवानी चाहिए। राज्य सरकार को भी एक अलग बजट शीर्षक से सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी को समान मात्रा में निधि जारी करनी चाहिए। उसी अनुरूप जिला एवं उप जिला संरचना पर भी अलग अकाउंट बनाकर देखभाल करनी होगी।

शिक्षा मनुष्य का वह आभूषण है, जिसे ग्रहण करने से भविष्य गुणवान व संस्कारी बन जाता है. शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य विनम्रता, उदारता और सहनशीलता जैसे महान गुणों को सीखता है. ग्कनबंजपवद

प्उचवतजंदबम शिक्षा ही मनुष्य को कर्मठ, महत्वाकांक्षी व परिश्रमी बनाती है. अतरू शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल आधार है. इसके द्वारा न केवल मानसिक विकास होता है.

बल्कि उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवेज्ञानिक स्थिति में भी अंतर स्पष्ट होता है. इसलिए आवश्यक है. लड़के एवं लडकियों की शिक्षा को तुलनात्मक रप से बराबर का मापदंड प्रदान किया जाए. प्रत्येक बालिका अथवा महिला के लिए शिक्षा वह खुबसूरत खिड़की है, जो विराट और खुबसूरत दुनिया में खुलती है.

प्रतिवर्ष महिला दिवस मनाने का यही अर्थ होता है, कि उनकी सामाजिक व शेक्षिक स्थिति में अपेक्षित सुधार शेष है.

बालिका एवं शिक्षा का सम्बंध दृ बालिका, जिसके जन्म पर घर में कोई प्रसन्न नहीं होता, जो जीवनभर सामाजिक कुरीतियों, भेदभाव, प्रताड़ना, उत्पीड़न, कुपोषण और शोषण कॅा शिकार होती रहती है, ऐसी बालिका के लिए शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र बन सकता है, जो न केवल उसे उसके नैतिक, सामाजिक और शेक्षणिक अधिकार दिलाएगी, बल्कि उसे जीवन में आने वाली कठिनाइयों के सामने एक सशक्त महिला के रूप में खड़ा करेगा. अतरू बालिका के साथ शिक्षा के सम्बंध को नकारा नहीं जा सकता.

बालिका के लिए शिक्षा आवश्यक दृ स्त्रियों का परिवार, समाज व राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है. बालिकाओ पर भी किसी भी देश का भविष्य निर्भर करता है. क्योकि बालिकाए आगे चलकर माँ बनती है और माँ किसी भी परिवार की केन्द्रीय इकाई होती है. यदि माँ को शिक्षा प्राप्त नहीं है और वह बचपन से ही कुपोषण व अज्ञानता की शिकार है, तो वह एक स्वस्थ शिक्षित परिवार व उन्नत समाज को जन्म देने में विफल रहेगी. अतरू बालिका के लिए शिक्षा नितांत आवश्यक है.

बालिका शिक्षा का प्राचीन स्वरुप दृ स्त्री को कमजोर करने का प्रयास उसके शेशव काल से ही प्रारम्भ हो जाता है. लड़के के मुकाबले लड़की के पोष्टिक भोजन एवं अन्य जरूरतों का स्थान दिया जाता है. प्राचीन समय में भी स्त्री को हमेशा ससुराल की सेवा पारिवारिक अनुशासन, चौके चूल्हे की परिधि तक ही सीमित रहने की शिक्षा दी जाती थी. एख बालिका, जो भविष्य में एक परिवार की महत्वपूर्ण इकाई बनती है, उसे परिवार में संस्कृतिक शिक्षा तो मिल जाती थी. पर सामाजिक, नैतिक शिक्षा से उसे वंचित रखा जाता था.

"मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित कविता की ये पंक्तियाँ आज भी उतनी ही सार्थक है, जितनी तब थी. दो दो कौर रोटियाँ मिलती और धोतियाँ चार, नारी तेरा यही मोल तो करता है संसार"

कवि सुमित्रानंदन पंत के शब्दों में

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी. आँचल में है दूध और आखों में है पानी"

बालिका शिक्षा बेहतर भविष्य की और दृ आज बालिका शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकता समझकर जोर दिया जा रहा है. परिणामतरू बालिकाओ की स्थिति में सुधार हुआ है. समय तेजी से बदल रहा है. समय के साथ स्त्री जाती ने भी करवट ली है. आज बालिकाये, बालकों से किसी क्षेत्र में कम नहीं है, वे आज इस प्रतियोगी युग में तेजी से आगे बढ़ रही है. आज विचार किया जाए तो बालिकाएँ, बालकों से हर क्षेत्र में आगे न रखे हों.

यह सब सरकार की सुनियोजित योजनाओं का फल है कि आज समाज में बालिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदला है. जैसे (१) महिला बाल विकास योजना (२) महिला शिक्षा योजना (३) इंदिरा महिला व बाल विकास योजना (४) बालिकाओं के लिए बालिका वर्ष मनाना.

इनका मुख्य उदेश्य समाज में फैली अज्ञानता, बालिकाओं के शिक्षा के प्रति सकारात्मक रवैये को बदलना ही है. अतरू हम पाते है कि बालिका शिक्षा ने आज ऐसे नए नए आयामों को जन्म दिया है, जिससे न केवल उनकी शिक्षा का भविष्य उन्नति पर है, बल्कि वे अपनी पूर्ण प्रगति के प्रति आश्वस्त भी है.

उपसंहार दृ निष्कर्ष रूप से यही कहा जा सकता हैं, कि बालिकाओ के प्रति समाज में सम्पूर्ण दृ ष्टीकोण में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और यदि राष्ट्रीय महिला आयोग इस भूमिका को निभा लेगा तो निश्चय ही बहुत बड़ा योगदान होगा.

इक्कीसवीं सदी के प्रवेशद्वार पर बैठा मानव भविष्य की संभावनाओ अर्थात बेटियों व बालिकाओं के प्रति अपना असहिष्णु व निष्ठुर होता जा रहा है, इससे निपटने के लिए स्वेच्छिक संगठनों को इस मोर्चे को प्राथमिकता देनी होगी और जड़ सामाजिक रवैये पर पूरी शक्ति के साथ हमला करना होगा.

किन्तु यह सफलता कुछ व्यक्तियों के प्रयासों से सम्भव नहीं होगी. इसके लिए हमें भी जन जागृति लानी होगी. लोगो को बालिका शिक्षा का महत्त्व समझना होगा तभी हमारे देश में अशिक्षा का सूरज डूबेगा व उन्नत विकसित शिक्षित व सम्पन्न देश के नए सूरज का उदय होगा.

इस आशा के साथ कि साथ कि इक्कीसवीं सदी की बालिका अपने अनुकूल सार्थक व सुदृढ़ परिणामों से युक्त अपनी परिणति पर पहुचेगी. आइये, हम इसे सफल बनाने के लिए जुट जाएँ और इस कार्य का श्री गणेश अपने अपने घरों में ही आरम्भ करे.

References :

Dewey, John (1944) [1916]. Democracy and Education. The Free Press. pp. 1–4. ISBN 0-684-83631-9.

Assmann, Jan (2002). The Mind of Egypt: History and Meaning in the Time of the Pharaohs. p. 127.

Geoffrey Blainey; A Very Short History of the World; Penguin Books, 2004

"Robert Grosseteste". Catholic Encyclopedia. Newadvent.org. 1 June 1910. Retrieved 2011-07-16.

"St. Albertus Magnus". Catholic Encyclopedia. Newadvent.org. 1 March 1907. Retrieved 2011-07-16.

Nuria Sanz, Sjur Bergan: "The heritage of European universities", 2nd edition, Higher Education Series No. 7, Council of Europe, 2006, ISBN, p.136

Robinson, K.: Schools Kill Creativity. TED Talks, 2006, Monterey, CA, US.

UNESCO, Education For All Monitoring Report 2008, Net Enrollment Rate in primary education

"Liberal Arts: Britannica Concise Encyclopædia". Encyclopædia Britannica.

Harriman, Philip (1935). "Antecedents of the Liberal Arts College". The Journal of Higher Education. 6 (2): 63–71. doi:10.2307/1975506. JSTOR 1975506.

Redden, Elizabeth (2009-04-06). "A Global Liberal Arts Alliance". Inside Higher Ed. Retrieved 2015-01-08.

Special Education. Oxford: Elsevier Science and Technology. 2004.

Lazarin, Melissa (October 2011). "Federal Investment in Charter Schools" (PDF). Institute of Education Sciences. Center for American Progress. Retrieved 2 October 2015.

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

निराला के काव्य में राजनैतिक चैतना

डॉ.भावना शर्मा
अतिथि विद्वान(हिन्दी)
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
नरसिहगढ राजगढ़(ब्यावरा)मध्यप्रदेश

निराला की राजनैतिक विचारधारा क्या है, इसका निर्णय आसान नही है। यह कहा जा सकता है कि वे किसी विशेष राजनैतिक विचारधारा से जुड़े हुये नही थे ।"निराला की रचनात्मक ऊर्जा का विकास जिन वर्षो में हुआ था। वह मुख्यतः कॉग्रेस और ब्रिटिश राज के बीच घोर संघर्ष का समय था। निराला शुरू में आजादी के विचार से भावनात्मक स्तर पर बहुत उद्धेलित दिखाई पड़ते है, इस उद्धलेन में कभी उनकी अनुभूतियाँ उच्छल, मातृ–वन्दना का रूप लेती है, तो कभी राम ,तुलसी और शिवाजी के माध्यम से वे गुलामी से मुक्ति का स्वप्न देखते हुये सम्पूर्ण भारतीय जन – मानस को जगाने और उठ खड़े होने के लिये ललकारते है। अपने इसी भावनात्मक उद्धेलन के क्षणों में स्वयं अपने मस्तिष्क के तथा जनता के सामने भी वे भारत के अतीत की प्रभावमयी तस्वीरे रखते है। "1 लेकिन धीरे धीरे निराला की रचनाओं में गुलामी से मुक्ति की यह ललकार आत्म बलिदान की वह उत्कट भावना मंद पड़ती हुई दिखाई देती है। शायद निराला इन दिनों गहरे विचारों में हैं और जब वह बाहर आते है तो उनका स्वर बदला हुआ दिखाई पड़ता है। आजादी की यह ललकार उनके लिए व्यर्थ मालूम देती है। निराला जानते है कि आजादी के विचार को जनता की मुक्ति से अलग करके नही देखा जा सकता । जन – मुक्ति के बगैर मिली आजादी का कोई मतलब नही है ,इसलिये वे ललकार से जन–मुक्ति के मोर्चे पर आ खड़े होते है। उन्हें यह मुक्ति किसी समझौते में नही दिखाई देती बल्कि हजारों हाथों के उठते हुये समर में दिखाई देती है। निश्चय ही यह वर्ग संघर्ष की भूमिका का आह्वान है।

गाँधीजी के विचारों से उन्हें कोई भी वाकफीयत कहीं दिखाई नही देती उन्हें लगता है, उनके उत्तराधिकारियों या सफेदपोशों की जमात जनता को ठगने और उसका शोषण करने के लिए घात लगाये बैठे है । इसीलिये उनकी रचनाओं में कही भी इस वर्ग समझौते अथवा वर्ग – समन्वय की चेष्टा नहीं है। क्योकिं गाँधी जी की दृष्टि जहाँ वर्तमान और निकट भविष्य पर है वहीं निराला की दृष्टि सुदूर

भविष्य पर टिकी हैं।

" निराला की यह साफ राजनीतिक दृष्टि और उनका यह गाँधी–विरोध उनके निपट व्यक्तिगत संस्कारों की उपज है। कुछ लोगों ने उसे निराला पर साम्यवाद का प्रभाव बतलाया हैं। यह बात सच नहीं मालूम पड़ती है निराला का विराट अहं किसी भी विचार दर्शन के तहत स्वीकार कर लेने वाला नहीं हैं।.... गाँधी जी के वर्ग समन्वय का विरोध उनकी सहज चेतना सजगता का फल हैं। उनके अन्दर का ठेट वैसवाड़े का किसान अपनी सहज पारदर्शी चेतना से यह समझ गया हैं, कि इसमें भाई कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर हैं। निराला की यह मुक्ति की चिन्ता उस समय से उनकी कविताओं का अंग रही हैं । जब हिन्दुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी नहीं हुई थी। 2

क्रिप्स मिशन के भारत आगमन और उसकी सुधार संबंधी योजनाओं से असंतुष्ट होकर कांग्रेंस ने " भारत छोड़ो " आन्दौलन चलाया। अंग्रेजों द्वारा इस आन्दौलन का बर्बरता पूर्वक दमन किया गया और काग्रेंसी नेता जेल भेज दिये गये उसी समय निराला ने लिखा –

"महंगाई की बाढ़–बढ़ आई गाठ की छूटी गाढ़ी कमाई
भूखे–नंगें खड़े शरमाए न आए वीर जवाहर लाल "3

पूँजीपतियों, मिल मालिकों एवं नेताओं पर व्यंग्य करते हुये वे कहते है–

"भेद कुल खुल जाय वह सूरत हमारे दिल में है
देश को मिल जाय जो पूंजी तुम्हारी मिल में है "4

राजनीतिज्ञ संगठनों ने अपना कार्यक्रम चलाने हेतु पूंजीपतियों का सहारा लिया वे उन्हीं को सम्मान देने लगे कारण वे ही तो आश्रय दाता थे। समाज का सृष्टा धन हीन होने के कारण उपेक्षित समझा जाने लगा। 5 और साहित्यकार उपेक्षित होता चला गया राजनेताओं के प्रति व्यग्यात्मक बनने का एक बड़ा कारण यह भी रहा। अधिकारियों पर व्यंग्य करते हुये वे लिखते हैं–

"डेरे पर थानेदार आये हैं
एक हते के अन्दर देना हैं "

निराला की राष्ट्रीय भावनाओं का धरातल बड़ा विस्तृत एवं बहुरंगी है, जिसे उन्होंने अनेक कविताओं में अभिव्यक्त किया है । सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुये वे लिखते है –

"कहता दुकानदार उनसे है महाराज
ईश्वर की गाज
यहा है गिरी है विपत बड़ी
पड़ा हैं अकाल

लोग पेट भरते है खा–खा कर पेड़ की छाल
कोई देता नही सहारा
रहता हर एक यहाँ न्यारा
मदद नही करती सरकार " 7

साम्यवाद पर प्रहार करते हुये वे लिखते है–

"राजे ने अपनी रखवाली की
किला बना कर रहा "8

वही वह महाराज शिवाजी के पत्र में देशवासियों की निष्क्रियता पराधीनता से समझौता आत्म सम्मान के अभाव के प्रति रोष और ग्लानी के भाव सजग है–

"किन्त हाय वीर राजपूतों की
गौरव प्रलम्ब ग्रीवा "9

निराला धरती माँ की वेदना नहीं देख सकता वह कह उठता है–

"बेदना बनी
मेरी अवनी

और

कठिन कठिन हुए मृदुल
पद कमल विषद संकुल
भूमि हुई शयन–तुभुल
कण्टको–धनी "10

कवि सामन्तवाद का विरोध करते हुये कहता है

"सारी सम्पत्ति देश की हो
सारी आपद्दि देश की हो।11

स्वंतन्त्रता के पश्चात देशवासियों की आशाओं पर तुषारापात हुआ जनता भूख प्यास से पीड़ित है–

"जमाने की रतार में कैसा तूफा हैं
मरे जा रहे हैं जिये जा रहे है।
खुला भेद विजयी कहाये हुये जो
लहू दूसरो का पिये जा रहे हैं ।12

निराला आधुनिक भारत के नव निमार्ण की रूपरेखा भी बना रहे है–

"बदला जीवन जग का गंदला
बहा देख देखते ही कह गया
विधा की आँखे नूतन कली
नये गीत नये वाद विच्छुर
नये यान यात्री नये नंये
नये प्राण नई रेल पेल के
वैज्ञानिक साधन सबके लिए ।"13

महांकवि की अपनी मान्यताएँ हैं अपनी प्रतिबद्धताएँ हैं। वास्तव में कोई भी राजनैतिक सिद्धान्त उनकी पहली प्रतिबद्धता नही बन सकता था । क्योंकि वे तो सिर्फ साहित्य के लिये ही प्रतिबद्ध थे, चाहे उनका झगड़ा नेताओं से हो या साहित्यकारों से झगड़े का मुद्दा साहित्य एवं हिन्दी भाषा थी।

"निराला राजनीति के या राष्ट्र मुक्ति के सवाल को लेकर नहीं उलझे हैं, उससे तो वे अपनी कविताओं में ही उलझते रहे हैं। इसलिये मैं कहता हूँ कि किसी भी राजनीतिक मतवाद से निराला को जोड़ना उनकी सम्पूर्ण मेघा, रचनात्मकता, प्रतिभा और वाग्मिता का अपमान करना हैं। दरअसल निश्च्छल ओर पवित्र मानवीयता ही उनका जीवन दर्शन हैं। उनकी कविताओं की मानवीयता ही उनका जीवन–दर्शन हैं। उनकी कविताओं की राजनैतिक चेतना मनुष्य हैं। दुख:दर्द ओर अवमानना में फसा हुआ मनुष्य।.... गलती चाहे गाँधी जी की हो या दयानन्द सरस्वती की या साम्यवादी रूस की जो भी फ्राड़ रचता हैं, अभिसंधि करता हैं, उस पर बेलाग वे झपट पड़ते है। अगर वे कम्युनिष्ट पार्टी के या मार्क्सवाद के सिद्धान्तों पर विश्वास करते होते तो उतने ही बेलाग तरीके से कुकुरमुत्ता में कैपिटल और लेनिन ग्राड़ यानी मार्क्सवादी और रूसी क्रांति के संबन्धों को लेकर व्यंग्य नही करते। "14

कोई पक्का साम्यवादी इस तरह की उक्तियाँ बोलना तो क्या सोच भी नही सकता। अगले ही दिन पार्टी वाले बुर्जुवा, प्रतिक्रियावादी ओर न जाने क्या–क्या ठहरा देंगे। इसलिये मेरा यह निश्चित मत हैं कि निराला को किसी राजनैतिक सिंद्धात के घेरे में नहीं लाया जा सकता। उनके चरित्र और रचना–कर्म के बीच कोई द्वैत नही हैं। साहित्य और रचना को लेकर वे भीतर बाहर समान है। इस लिये बेलाग हैं, उनके चरित्र का सच ही उनकी रचना का सच हैं, इसलिए उनकी कविता इतनी मार्मिक और प्रभावशाली बन पड़ी हैं। उनकी वाणी ओजस्विता, मार्मिकता और प्रतिभा का निखार भारतीय जीवन और रचनात्मक व्यक्तित्व की बीच कभी कोई द्वैत नही रखा , ऐसा नहीं कि एक जगह तो वे समझौता करते चले सुविधा परस्ती की तलाश में दाँत निरोपते फिरे और दूसरी जगह क्रांति का डंका बजाये, इसलिए उनकी कविता और रचना में आयी हुई वैचारिक दृष्टि शुद्ध, पवित्र और निश्च्छल

हैं । उसमें कही भी किसी भी तरह का एडल्टरेशन नहीं हैं। निराला का राजनीतिक और राष्ट्रीय दर्शन उनका यही व्यक्तित्व दर्शन हैं उनकी निजता ही उनकी कविता को समझने व्याख्यायित विश्लेषित करने का मूल मंत्र हैं। उससे बहार किसी भी रूप में जाना निराला के साथ अन्याय होगा।"15

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सिंह दूधनाथ : निराला आत्महन्ता आस्था पृ.187
2. सिंह दूधनाथ : निराला आत्महन्ता आस्था पृ.191–192
3. निराला : बेला पृ.54
4. निराला : बेला पृ.75
5. कौर डॉ.श्रीमती निरूंपया : छायावाद के आधार स्तम्भ पृ.187
6. निराल : नये पत्ते पृ.62
7. निराला : अनामिका पृ.183–184
8. शर्मा रामविलास संपादक : राग विराग पृ.140–141
9. शर्मा रामविलास संपादक : निराला की साहित्य साधना द्वितीय खण्ड़ पृ.161
10. शर्मा रामविलास संपादक : राग विराग पृ.140–141
11. निराला : बेला पृ.68
12. निराला : बेला पृ.78
13. निराला : गीतगंज पृ. 86 ।
14. सिंह दूधनाथ : निराला आत्महन्ता आस्था पृ.194 ।
15. सिंह दूधनाथ : निराला आत्महन्ता आस्था पृ.195 ।

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

भारतीय जनजातियां एक सामाजिक अध्ययन

डॉ. मो. मतीन खान
अतिथि विद्वान–राजनीति शास्त्र विभाग
शा. महा. नसरुल्लागंज

जनजाति (जतपइम) वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था या जो अब भी राज्य के बाहर हैं। जनजाति वास्त्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्त्तेमाल होने वाला एक कैधानिक पद है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग हुआ है और इनके लिए विशेष प्रावधान लागू किये गए हैं।

परिचय

भारत में कबीली जनसंख्या के विषय में स्पष्ट और सुलझे विचारों का अभाव रहा है। श्कबीलाश शब्द की परिभाषा के विषय में भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है। फलस्वरूप जनगणना रिपोर्टों में भी जहाँ कुछ कबीलों को जतियों की सूची में रखा गया है, बहुत सी नीची जातियों को भी कबीलों में सम्मिलित कर लिया गया है। इस संबंध में एक जनगणना से दूसरी जनगणना में भी विषमता पाई जाती है। एक जनगणना के अनुसार समस्त भारतीय कबीलों का धर्म श्आत्मावादश की श्रेणी में आता है किंतु उसकी अगली जनगणना में ही कबीली धर्म की सर्वथा पृथक श्रेणी बना दी गई है। वास्तव में मूल प्रश्न यह है कि श्कबीलाश कहते किसे हैं? इस शब्द की अब तक दी गई परिभाषओं से अधिक न्यायसंगत संभवतरू नूतन किंतु गुणात्मक परिभाषा है। इस नवीन परिभाषा के अनुसार कबीला निश्चित भौगोलिक सीमा के भीतर वास करनेवाला ऐसा अंतर्विवाही सामाजिक समूह है जिसमें कार्यों का विशिष्टीकरण नहीं पाया जाता। समान भाषा या बोली द्वारा संगठित और कबील अधिकारियों द्वारा प्रशासित यह समूह अन्य कबीलों और जातियों से सामाजिक दूरी मानता है किंतु जातिव्यवस्था की भाँति सामाजिक द्वेष जैसी भावना से अछूता है। कबीले को अपनी परंपराएँ, विश्वास एवं रीतियाँ होती हैं और प्रजातीय तथा भागौलिक संग्रथन से उद्भूत सजातीयता की भावना कबीले के सदस्यों में बाह्य प्रभावों से प्रतिरक्षा

को जन्म देती है। कबीला अनुसूचित हो सकता है और नहीं भी। कबीले में पर–संस्कृति–धारण की प्रक्रिया या तो पूर्णरूपेण संपन्न हो चुकी होती है या आंशिक रूप में ही।

भारतीय जनजातियाँ

भारत की कुल जनगणना मे आदिवासी ८.६१ः है, ख्त.। प्रजातीय आधार पर भारतीय कबीलों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी में मंगोलीय मूल के नागा, कूकी, गारो तथा असमी कबीले या अल्मोड़ा जिले के भोटिया आदि कबीले आते हैं। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत मुंडा, संथाल, कोरवा आदि पुरा–ऑस्ट्रेलीय कबीले और तीसरी श्रेणी में विशुद्ध आर्य मूल के निचले हिमालयवासी खस कबीले या हिंद–आर्य–रक्त की प्रधानता लिए किंतु मिश्रित प्रकार के भील आदि कबीले रखे जा सकते हैं। भाषाशास्त्रीय दृष्टि से भारतीय कबीलों का वर्गीकरण तीन पृथक भाषापरिवार के समूहों में किया जा सकता है। ये समूह क्रमशरू मुंडा, तिब्बती–बर्मी और द्रविड़ भाषापरिवारों के हैं। कुछ कबीले अपनी मूल बोली त्यागकर हिंदी बोलने लगे हैं। कुछ मुंडा कबीले इस श्रेणी में आते हैं। मूल रूप से मुंडा भाषापरिवार की बोली बोलनेवाले गुजरात के भीलों ने भी अपने अधिवासानुसार गुजराती या मराठी अपना ली है। निश्चित भौगोलिक सीमाओं में बसे इन कबीलों के अतिरिक्त नट, भाँटू, साँसी, करवाल और कंजर आदि ऐसे खानाबदोश कबीले हैं जो हाल तक अपराधोपजीवी थे किंतु जिन्हें कठोर नियंत्रण और कठिन नियमों से मुक्त कर दिया गया है। सभी श्रेणियों के इन कबीलों की कुल जनसंख्या लगभग तीन करोड़ है किंतु अनेक कबीलों के जातिनाम और जातिगत व्यवसाय अपना लिए हैं। इसीलिए हाल की जनगणना ने इनकी संख्या लगभग दो करोड़ ठहराई है। पुनर्वास की समस्या को ध्यान में रखते हुए सांस्कृतिक पदानुसार कबीलों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है

सांस्कृतिक संपर्कों के प्रसंग में भारतीय कबीलों को अनुकूलक (अडैप्टिव) और सात्मीकारक (ऐसीमिलेटेड), इन दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। अनुकूलक कबीले तीन प्रकार के हो सकते हैं–सहभोजी, समजीवी और पर–संस्कृति–धारक। सहभोजिता का अर्थ पड़ोसी समूहों के साथ समान आर्थिक कार्यों में भाग लेना है। समजीविता शब्द का प्रयोग कबीलों की आर्थिक और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता के अर्थ में किया गया है। पर–संस्कृतिश्धरण का तात्पर्य सांस्कृतिक लक्षणों की एकतरफा स्वीकृति से है, अर्थात्‌ पर–संस्कृति–धारक कबीले वे हैं जो अपने सभ्य पड़ोसी समूहों के रीति रिवाज ग्रहण करते हैं। इस वर्गीकरण में उन कबीलों की गणना नहीं हुई जो बाह्य संस्कृतियों के संपर्क से अछूते छूट गए हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि भारत में सांस्कृतिक संपर्कों का श्शून्य बिंदुश (जीरो प्वाइंट) है ही नहीं। दूसरे शब्दों में, सभी कबीले अपने से अधिक उन्नत संस्कृतियों के संपर्क में आए हैं और परिणामस्वरूप या तो समस्याग्रसित हैं अथवा संपर्क स्थिति से समायोजन

स्थापित कर अपेक्षाकृत संतोषप्रद जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

अधिकांश भारतीय कबीलों का निवास वनों में है और वे वन्य प्राकृतिक साधनों पर ही निर्भर करते हैं। कोचीन के कदार, त्रावणकोर के मलायांतरम्, मद्रास के पलियान और वायनाद के पनियन ऐसे ही कबीले हैं। कुछ कबीलों की अर्थव्यवस्था खाद्य पदार्थों की संचयन और पिछड़ी कृषि के बीच की है। इन कबीलों में प्रमुख मध्य प्रदेश के कमार और इसी राज्य में माँडला क्षेत्र के बैगा तथा दक्षिण में बिसन पहाड़ियों के रेड्डी हैं। उपर्युक्त दोनों श्रेणियों के कबीलों पर शासन की वन संबंधी नीतियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। भारतीय कबीलों की तीसरी आर्थिक श्रेणी में देश की अधिकांश कबीली जनसंख्या को रखा जा सकता है। यह श्रेणी उन कबीलियों की है जिनके जीवकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि है किंतु जिन्होंने वनों की निकटता के कारण संचयन व्यवसाय को दूसरे मुख्य धंधों के रूप में अपना लिया है। उत्तर–पूर्वी एवं मध्य भारत के प्रायरू सभी कबीले इस श्रेणी में आते हैं।

ब्रिटिश सरकार ने कबीली जनसंख्या के प्रति निर्हस्तक्षेप की नीति अपनाकर उसे अपने भाग्य पर छोड़ दिया था। इसके विपरीत वर्तमान शासन की नीति सक्रिय हस्तक्षेप की है। भारत सरकार कबीलों के प्रति उपादेय और गतिमान नीति अपनाने के लिए वचनबद्ध है। किंतु यह समझ लेना आवश्यक है कि कबीलों का स्तर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो जाता है और कुशल नीतिनिर्धारण के पूर्व स्थानीय दशाओं का पूर्ण ज्ञान अपेक्षित है। विगत भूलें भविष्य की पथप्रदर्शक होती हैं। अब तक शासन की ओर से कबीली पुनर्वास जैसे विशाल कार्य के दार्शनिक आधार का स्पष्ट विवेचन प्रस्तुत नहीं किया गया है और यह तब तक संभव नहीं जब तक भारतीय कबीलों के विषय में समुचित जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती। कबीली कार्यक्रमों के परंपरागत संस्कृत के संरक्षण और सुचारु एवं संगठित रूप से परिवर्तनों के बीजारोपण पर समान रूप से बल दिया जा रहता है। कबीली जनता में नवोदित सामाजिक सामाजिक चेतना और सरकारी प्रयत्नों द्वारा लाभान्वित होने की आकांक्षा भारतीय कबीली समस्याओं के प्रसंग में दो नए दिशासंकेत हैं। कबीलों को उनकी वर्तमान पिछड़ी दशा से उबारकर उन्हें ग्राम्य संस्कृतियों के अनुरूप बनाने का कार्य अत्यंत सतर्कतापूर्वक संपन्न किया जाना चाहिए। यदि प्रगति की योजना इस प्रकार की गई तो भावी भारतीय संस्कृति में जीवनयापन के केवल दो प्रारूप होंगे–ग्राम्य और नागरिक, एवं समाज वैज्ञानिकों का दायित्व होगा कि वे इन दो प्रारूपों के बीच की खाई को दृढ़ पुलों द्वारा पाटने का प्रयत्न करें।

ब्रिटिश शासन ने भी समय–समय पर आदिवासी जनसंख्या की ओर ध्यान दिया था। कभी–कभी सरकार के पास हिंसात्मक विद्रोही की की सूचना पहुँचती थी। ऐसे अधिकांश विद्रोहों का मूल प्रायरू तीन कारणों में होता था

(1) कबीली भूमि से कबीलियों का निष्कासन,

(2) कबीली प्राकृतिक साधनों का बाहरी लोगों द्वारा उपयोग और

(3) साहूकारों और विदेशी खिलौनों और आभूषणों के विक्रेताओं द्वारा शोषण। शासन की ओर सें इन कठिनाइयों को दूर करने की समुचित व्यवस्था नहीं थी और यदि कभी कबीलियों के कष्ट की सुनवाई होती भी थी तो वह किन्हीं उदार और सहानुभूतिपूर्ण शासकों की व्यक्तिगत रुचि के फलस्वरूप।

ईसाई मिशनरियों को अपने कार्यकलापों में शासन का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता था और शासन की ओर से उन्हें अनेक अधिकार भी मिले हुए थे। इस प्रकार कबीली समस्या से सरकार चिंतामुक्त थी और मिशनरी मनमाने हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण कर रहे थे। किंतु जब पहाड़िया लोगों ने हिंदू जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह का नारा लगाया तो ब्रिटिश सरकार ने शांतिस्थापना के लिए अपनी सेना भेजी। विद्रोही नेताओं को सनदें देकर प्रतिहिंसा की ज्वाला शांत की गई। शांतिस्थापना के हित में पहाड़िया क्षेत्र के चारों ओर अवकाशप्राप्त और सामर्थ्यहीन सैनिकों को बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कालांतर से व्यवहार और दंडविधियाँ भी कबीली नेताओं के अधिकार क्षेत्र में आ गईं। न्याय और अनुशासन में सुधार हुआ और शासन ने कबीले को विशेष व्यवहार के योग्य समझा। फलस्वरूप सन्‌ 1782 में राजमहल पहाड़ियाँ साधारण न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से निकाल ली गईं। सन्‌ 1796 में पहाड़ियाँ क्षेत्र का नया नामकरण 'दमानी–कोश' हुआ और इसके प्रशासन के लिए नई न्यायविधि स्वीकृत हुई। यह संपूर्ण क्षेत्र एक समहर्ता के प्रशासनाधिकार में आ जिसके शासन में भारत के अन्य भागों में प्रचलित विधि से कोई संबंध नहीं था। इसी समय छोटा नागपुर और संथाल परगना में भी असंतोष की आग सुलग रही थी। जमींदारों ने कई बार शासन से सशस्त्र हस्तक्षेप की माँग की थी। सन्‌ 1886 में विख्यात संथाल विद्रोह भड़क उठा। संथाल परगना को एक पृथक जिला बना दिया और सन्‌ 1855 के 38वें विनिमय के अनुसार विनियम के अनुसार यह 'अविनियमित' क्षेत्र घोषित कर दिया गया। फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जार्ज और बंबई की प्रबंधकारिणी परिषदों के तत्वाधान में अनेक नए अधिनियम पारित हुए। सन्‌ 1861 के इंडिया काउंसिल ऐक्ट के अनुसार स्थानीय प्राधिकारों द्वारा बनाए गए 'अविनियमित' संबंधी नियमों को मान्यता दे दी गई। सन्‌ 1870 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सपरिषद् महाशासक को ऐसे क्षेत्रों के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ जहाँ ब्रिटिश भारत के अन्य भागों में प्रचलित व्यवहार तथा दंड प्रक्रिया सीमित रूप में लागू होती थी। सन्‌ 1874 में भारतीय विधान मंडल में स्वीकृत 14वें जिला अनुसूचित अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन को अधिनियम में निर्दिष्ट क्षेत्रों में विधि लागू करने के नए अधिकार प्राप्त हुए। स्थानीय शासन को अधिकार मिला

कि वह उन कानूनों का स्पष्टीकरण करे जो ब्रिटिश भारत के अन्य भागों की भाँति इन क्षेत्रों में लागू नहीं होते थे। यदि आवश्यकता पड़ने पर संशोधित अथवा सीमित रूप में ब्रिटिश भारत के अन्य भागों में प्रचलित कोई कानून इन क्षेत्रों में लागू किया तो उसकी अधिसूचना केंद्र को देना अनिवार्य था। किंतु इस विशिष्ट शासनव्यवस्था ने भी कबीली कठिनाइयों को हल नहीं किया। पहाड़ी कबीलों में भू–स्वामित्व–हरण रोकने के निमित्त मद्रास सरकार ने सन्‌ 1917 में एक कानून बनाकर कबीलियों को उपलब्ध उधार पर ब्याज की दर निश्चित करने का प्रयत्न किया। सन्‌ 1876 में ही संथाल परगना में व्यक्तिगत रूप से अथवा अदालतों के आदेश द्वारा भूमि का विक्रय और हस्तांतरण अवैध घोषित कर दिया गया था। मोंटफोर्ड समिति ने 1919 के अधिनियम की 52वीं धारा में कबीलों के प्रति शासन की स्थिति को स्वीकार कर लिया। इस धारा के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों का दो भागों में विभाजन किया गया–

सन 1935 के रक्षात्मक उपायों द्वारा कबीली जनसंख्या में सुधार की चेष्टा की गई। नवीन भारतीय संविधान में कबीलों के पति शासन के रक्षणात्मक उत्तरदायित्व पर और अधिक जोर दिया गया है। उनकी स्थिति में सुधार के लिए नए उपाय ढूँढ़े गए हैं और उनके उत्थान की दिशा में शासन अभूतपूर्व रूप से क्रियाशील है। इन क्षेत्रों में शिक्षा, सामुदायिक विकास, सामाजिक कल्याण तथा पारिवारिक स्वच्छता आदि के लिए समुचित प्रबंध हो रहे हैं। कबीलों के प्रति विशेष व्यवहार की नीति के अतिरिक्त शासन ने राजकीय सेवाओं में भी कबीलियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित कर दिए हैं। इस कार्य के लिए अनुसूचित कबीलों एवं जातियों का विभाग बनाया गया है जिसकी अध्यक्षता एक आयुक्त करता है। यह विभाग उन समस्याओं से जूझ रहा है जो कबीलियों को त्रस्त किए हुए हैं। कबीली पुनर्वास के इन प्रयत्नों की असफलता के विषय में इतना शीघ्र कुछ भी कहना संभव नहीं। किंतु इसमें संदेह नहीं कि यह प्रयत्न कबीलों की वर्तमान दशा में सुधार और उन्हें समझने की इच्छा से प्रेरित हुए हैं।

भारत में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कई प्रावधान हैं। मुख्यतः इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है– सुरक्षा तथा विकास। अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 19(5), 23, 29, 46, 164, 330, 332, 334, 335 व 338, 339(1), 371(क) (ख) व (ग), पांचवी सूची व छठी सूची में निहित हैं। अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित प्रावधान मुख्य रूप से अनुच्छेद 275(1) प्रथम उपबंध तथा 339 (2) में निहित हैं।

इस समय भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 700 से ऊपर है। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के आधार हैं–

ऊपर वर्णित अत्याचार के अपराधों के लियें दोषी व्यक्ति को छः माह से पाँच साल तक की सजा, अर्थदण्ड (फाइन) के साथ प्रावधान हैं। क्रूरतापूर्ण हत्या के अपराध के लिए मृत्युदण्ड की सजा हैं। अधि

ानियम की धारा 3 (2) के अनुसार कोई भी व्यैक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हैं और यदि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के खिलाफ झूठा गवाही देता है या गढ़ता हैं जिसका आशय किसी ऐसे अपराध में फँसाना हैं जिसकी सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास जुर्मानें सहित है। और इस झूठें गढ़ें हुयें गवाही के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य को फाँसी की सज़ा दी जाती हैं तो ऐसी झूठी गवाही देने वालें मृत्युदंड के भागी होंगें।

यदि वह मिथ्या साक्ष्य के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लियें दोष सिद्ध कराता हैं जिसमें सजा सात वर्ष या उससें अधिक है तो वह जुर्माना सहित सात वर्ष की सजा से दण्डनीय होगा।

आग अथवा किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा किसी ऐसे मकान को नष्ट करता हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, वह आजीवन कारावास के साथ जुर्मानें से दण्डनीय होगा।

लोक सेवक होत हुयें इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह एक वर्ष से लेकर इस अपराध ा के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय होगा। अधिनियम की धारा 4 (कर्तव्यों की उपेक्षा के दंड) के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारीध्अधिकारी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही हैं, अगर वह जानबूझ कर इस अधिनियम के पालन करनें में लापरवाही करता हैं तो वह दण्ड का भागी होता। उसे छः माह से एक साल तक की सजा दी जा सकती हैं।

धारा–14 (विशेष न्यायालय की व्यवस्था) के अन्तर्गत इस अधिनियम के तहत चल रहे मामले को तेजी से ट्रायल (विचारण) के लियें विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इससे फैसलें में विलम्ब नहीं होता हैं और पीड़ित को जल्द ही न्याय मिल जाता हैं। धारा–15 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय में चल रहें मामलें को तेजी से संचालन के लिये एक अनुभवी लोक अभियोजक (सरकारी वकील) नियुक्त करने का प्रावधान हैं। धारा–17 के तहत इस अधिनियम के अधीन मामलें से संबंधित जाँच पड़ताल डी.एस.पी. स्तर का ही कोई अधिकारी करेगा। कार्यवाही करने के लियें पर्याप्त आधार होने पर वह उस क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त घोषित कर सकेगा तथा शांति और सदाचार बनायें रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा तथा निवारक कार्यवाही कर सकेगा। धारा–18 के तहत इस अधिनियम के तहत अपराध करने वालें अभियुक्तों को जमानत नहीं होगीं।

धारा–21 (1) में कहा गया हैं कि इस अधिनियम के प्रभावी ढंग ये कार्यान्वयन के लिये राज्य

सरकार आवश्यक उपाय करेगी। (2) (क) के अनुसार पीड़ित व्यक्ति के लियें पूर्याप्त के लियें सुविधा एवं कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई हैं। (ख) इस अधिनियम के अधीन अपराध के जाँच पड़ताल और ट्रायल (विचारण) के दौरान गवाहों एवं पीड़ित व्यक्ति के यात्रा भत्ता और भरण–पोषण के व्यय की व्यवस्था की गई हैं। (ग) के अन्तर्गत सरकार पीड़ित व्यक्ति के लियें आर्थिक सहायता एवं सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। (घ) के अनुसार ऐसे क्षेत्र का पहचान करना तथा उसके लियें समुचित उपाय करना जहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्यधिक अत्याचार होते हैं। अधिनियम की धारा 21 (3) के अनुसार केन्द्र सरकार राज्य सरकार द्वारा अधिनियम से संबंधित उठायें गयें कदमों एवं कियें गयें उपायों में समन्यव के लियें आवश्यकतानुसार सहायता करेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 यह नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का ही विस्तार हैं। अधिनियम के अधीन दर्ज मामलें को और अधिक प्रभावी बनानें तथा पीड़ित व्यक्ति को त्वरित न्याय एवं मुआवजा दिलाने के लियें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 प्रारित किया गया हैं।

धारा 5 (1) (थाना में थाना प्रभारी को सूचना संबंधी)– इसके अनुसार अधिनियम के तहत किये गयें अपराध के लियें प्रत्येंक सूचना थाना प्रभारी को दियें जानें का प्रावधान हैं। यदि सूचना मौखिक रूप से दी जाती हैं तो थाना प्रभारी उसे लिखित में दर्ज करेंगें। लिखित बयान को पढ़कर सुनायेंगें तथा उस पर पीड़ित व्यक्ति का हस्ताक्षर भी लेंगें। थाना प्रभारी मामलें को थाना के रिकार्ड में पंजीकृत कर लेगें। (2) उपनियम के तहत दर्ज एफ.आई. आर. की एक कॉपी पीड़ित को निःशुल्क दिया जायेगा। (3) अगर थाना प्रभारी एफ.आई. आर. लेने से इन्कार करतें हैं तो पीड़ित व्यक्ति इसे रजिस्ट्री द्वारा एस. पी. को भेज सकेगा। एस.पी. स्वंय अथवा डी. एस.पी. द्वारा मामलें की जाँच पड़ताल करा कर थाना प्रभारी को एफ.आई. आर.दर्ज करने का आदेश देंगें।

धारा–6 के अनुसार डी.एस.पी. स्तर का पुलिस अधिकारी अत्याचार के अपराध की घटना की सूचना मिलतें ही घटना स्थल का निरीक्षण करेगा तथा अत्याचार की गंभीरता और सम्पत्ति की क्षति से संबंधित रिर्पोट राज्य सरकार को सौंपेगा।

धारा–7 (1)–के तहत इस अधिनियम के तहत कियें गयें अपराध की जाँच डी.एस.पी. स्तर का पुलिस अधिकारी करेगा। जाँच हेतु डी.एस.पी. की नियुक्ति राज्य सरकारध्डी.जी.पी. अथवा एस.पी. करेगा। नियुक्ति के समय पुलिस अधिकारी का अनुभव, योग्यता तथा न्याय के प्रति संवेदनशीलता का ध्यान रखा जायेगा। जाँच अधिकारी (डी.एस.पी.) शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर घटना की जाँच कर तीस दिन के भीतर जाँच रिर्पोट एस.पी.को सौपेगा। इस रिर्पोट को एस.पी.तत्काल राज्य के डी.जी.पी.

को अग्रसारित करेगें।

धारा–11 (1) में यह प्रावधान किया गया हैं कि मामलें की जाँच पड़ताल, ट्रायल (विचारण) एवं सुनवाई के समय पीड़ित व्यक्ति उसके गवाहों तथा परिवार के सदस्यों को जाँच स्थल अथवा न्यायालय जाने आने का खर्च दिया जायेगा। (2) जिला मजिस्ट्रेटः एस.डी.एम. या कार्यपालक दंडाधिकारी अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति और उसके गवाहों के लियें न्यायालय जानें अथवा जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने के लियें यातायात की व्यवस्था करेगा अथवा इसका लागत खर्च भुगतान करने की व्यवस्था करेगा।

धारा 12 (1) में कहा गया हैं कि जिला मजिस्ट्रेंट और एस.पी. अत्याचार के घटना स्थल की दौरा करेंगें तथा अत्याचार की घटना का पूर्ण ब्यौरा भी तैयार करेंगें। (3) एस.पी. घटना के मुआवजा करनें के बाद पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेंगें तथा आवश्यकतानुसार उस क्षेत्र में पुलिस बल की नियुक्ति करेंगें। (4) के अनुसार डी.एम.ध्एस.डी.एम. पीड़ित व्यक्ति तथा उसके परिवार के लियें तत्काल राहत राशि उपलब्ध करायेंगें साथ ही उचित मानवोचित सुविधा प्रदान करायेगें।

संदर्भ

म0प्र0 की जनजातियां समाज एवं व्यवस्था, डॉ. शिवकुमार तिवारी, डॉ. श्रीकमल शर्मा, म0प्र0 हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल, 1994, पृष्ठ 232।

जनजाति लोक सांस्कृतिक परम्पराओं के बदलते आयाम, डॉ. गोपाल निनामा, एम.बी.पब्लिकेशन एवं डिस्टीब्यूसन, जयपुर, राजस्थान, 2004

जनजाति संस्कृति, डॉ.आर.एन.श्रीवास्तव, म0प्र0 हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल, 2002, पृष्ठ संख्या 4

जनजाति लोक साहित्य, डॉ. प्रेमचंद्र डाबी, अंकुर प्रकाशन उदयपुर, राजस्थान, 2007, पृष्ठ 43–44, 46

वन्या संदर्भ, डॉ. सुरेश मिश्र का आलेख, 25 सितम्बर 2005

निमाड़ी भीलों का स्वरूप, भीलों की सामाजिक व्यवस्था, उदयकेसरी, 25 जून 2005, पृष्ठ–12

भीलों की सामाजिक व्यवस्था,डॉ. एम.एल.वर्मा, निकुंज प्रकाशन बड़वानी,2005

भीली व्याकरण,प्रो0 जगदीश चंद्र शर्मा, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान म0प्र0 शासन भोपाल, 2013, पृष्ठ–23

भीलः भाषा साहित्य और संस्कृति, श्री नेमीचन्द्र जैन, हीरा भैया प्रकाशन इन्दौर, 1964

http://www.indiatogether.org/2005/jul/hlt-attappadi.htm#sthash.KSfZYQsK. dpuf, Accessed on 23th January 2013.

http://www.sociologyguide.com/tribal-society/problems-of-tribal.php

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

राजनैतिक दलों की महिला कार्यकर्ता की सामाजिक पृष्ठ भूमि

राखी बाला सिंगार
शोध छात्रा
समाजशास्त्र विभाग
बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल

देश में सबसे अधिक महिला विधायकों की भागीदारी बिहार में है। दिल्ली की तुलना में दोगुने से भी अधिक। लेकिन वर्तमान में जिस तरह दलों ने टिकट बांटे हैं, उससे हम ज्यादा समय तक इस पर गर्व नहीं कर सकेंगे। लोकसभा और विधानसभा में 33 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक अभी लंबित है। 108 वें संविधान संसोधन विधेयक को राज्यसभा ने 9 मार्च 2010 को पास कर दिया। लोकसभा में इस पर अभी तक विवाद चल रहा है। समाजवादी पार्टी और राजद लगातार इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। जहां तक बिहार का सवाल है तो 2005 के विधानसभा के दो चुनावों में 1990 की तुलना में महिलाओं का वोट 9 फीसदी गिरा। तब कानून–व्यवस्था प्रमुख मुद्दा था। फरवरी 2005 में महिलाओं के मत प्रतिशत में 11 फीसदी गिरावट आई। पर 2010 में महिलाओं का मत प्रतिशत पहली बार पुरुषों से ज्यादा रहा। भाजपा–जदयू गठबंधन की वापसी में इस शांत लहर (साइलेंट वेव) की मुख्य भूमिका मानी गई। 34 महिलाएं चुनाव जीतीं। इस चुनाव में पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 51.1 रहा तो महिलाओं का मतदान प्रतिशत 54.5 फीसदी। महिलाओं ने बूथों पर ही दबंगई नहीं दिखाई चुनावी मैदान में भी अपना दबदबा बढ़ाया। 2010 में सर्वाधिक 307 महिला प्रत्याशी थीं। 34 जीतीं। 1957 में भी 34 महिलाएं विधानसभा पहुंची थीं। उम्मीदवारी और जीत के अनुपात को देखें तो यहां भी महिलाओं ने पिछले चुनाव में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। बिहार कांग्रेस महिला अध्यक्ष अमिता भूषण कहती हैं कि विधायिका में महिलाओं को उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस तो हमेशा महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में रही है। अभी बिहार की जो परिस्थिति है उसमें भी कांग्रेस ने 41 में 5 महिलाओं को टिकट दिया है। वहीं भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष निवेदिता सिंह कहती हैं कि महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33

फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए लाया गया संशोधन विधेयक कुछ राजनीतिक पार्टियों के कारण ठंडे बस्ते में चला गया है। इस कारण से चुनाव में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पर रहा है। रालोसपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष यशोदा कुशवाहा कहती हैं कि रालोसपा में महिलाओं की उपेक्षा हुई है। पार्टी ने दो टिकट दिया है। सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया है। 'सेंटर फॉर सोशल रिसर्च्य की निदेशक रंजना कुमारी कहती हैं, पुरुष राजनेता नहीं चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल पास हो। यह उनकी राजनीतिक प्राथमिकता में नहीं है। वे कहती हैं, और जिला स्तर पर महिलाओं के बेहतर काम करने से उन पर दबाव बढ़ा दिया है। वहां महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। इससे राष्ट्रीय स्तर के पुरुष नेताओं को भय हो गया है कि यदि महिलाओं को मौका दिया गया तो वो पुरुषों से अच्छा काम करेंगी और उनके हाथों से सत्ता निकल जाएगी।

बिहार विधानसभा के चुनावों में समाज के विभिन्न वर्गों से संबंध रखने वाले उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। जहां तक महिलाओं का संबंध है, उनमें भी अत्यधिक विविधता देखने को मिल रही है। इनमें मुसहर समुदाय से संबंध रखने वाली मजदूर और स्वीपर उम्मीदवार से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त फैशन डिजाइनर और कालेज अध्यापिका उम्मीदवार तक शामिल हैं। दरभंगा (देहाती) से मार्क्सी (लेनिनवादी) पार्टी की उम्मीदवार शनीचरी देवी मुसहर समुदाय से संबंध रखने वाली एक खेत मजदूर हैं जबकि राम नगर से भाजपा प्रत्याशी महादलित समुदाय की 65 वर्षीय भगीरथी देवी हैं और वह पश्चिमी चंपारण जिले में नरकटियागंज के एक ब्लाक डिवैल्पमैंट कार्यालय में स्वीपर का काम करती थीं। तीन बार विधायक रह चुकी मात्र पांचवीं कक्षा पास भगीरथी देवी इस बार फिर अपना भाग्य आजमा रही हैं। उनका कहना है, "अपने कार्यालय में काम करते हुए हमने देखा कि किस प्रकार यहां अपना काम करवाने के लिए आने वाले गरीब लोगों, विशेषकर महिलाओं को, अधिकारियों द्वारा परेशान और अपमानित किया जाता है। यह सब देख कर मुझे बहुत पीड़ा होती थी और उसी दिन हम सोच लिए थे कि राजनीति में जाएंगे और बाबू लोगों को सबक सिखाएंगे।" इसी कारण 1980 में नौकरी छोड़ने के बाद से भगीरथी देवी ने नरकटियागंज ब्लाक में महिला संगठन खड़े करने और महिलाओं को घरेलू हिंसा, दलितों पर अत्याचार और पुरुषों के बराबर वेतन के मुद्दे पर जागरूक करना शुरू कर दिया।

बिहार विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में राज्य की आधी आबादी की वाजिब हिस्सेदारी भी प्रमुख दलों ने छीन ली है। पिछले विधानसभा की तुलना में अधिक टिकट की बात तो दूर, पार्टियों ने इस बार सीटिंग महिला विधायकों का भी टिकट काट दिया है। वर्तमान विधानसभा में 14 फीसदी महिला विधायक हैं। वहीं, इस बार प्रमुख दलों ने सिर्फ 10 फीसदी महिलाओं को टिकट दिया है।

पिछली बार प्रमुख दलों के टिकट का ये आंकड़ा करीब 18 फीसदी तक था। भारत में महिलाओं की स्थिति और नीति नियामक संस्थाओं में उनके प्रतिनिधित्व का अंदाजा इस बात से भीं लगाया जा सकता है कि देश में कुल 4,896 सांसदों और विधायकों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या मात्र 418 है, जो केवल नौ फीसदी है।

हम गर्व कर सकते हैं। देश में सबसे अधिक महिला विधायकों की भागीदारी बिहार में है। दिल्ली की तुलना में दोगुने से भी अधिक। लेकिन वर्तमान में जिस तरह दलों ने टिकट बांटे हैं, उससे हम ज्यादा समय तक इस पर गर्व नहीं कर सकेंगे। लोकसभा और विधानसभा में 33 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक अभी लंबित है। 108 वें संविधान संसोधन विधेयक को राज्यसभा ने 9 मार्च 2010 को पास कर दिया। लोकसभा में इस पर अभी तक विवाद चल रहा है। समाजवादी पार्टी और राजद लगातार इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। जहां तक बिहार का सवाल है तो 2005 के विधानसभा के दो चुनावों में 1990 की तुलना में महिलाओं का वोट 9 फीसदी गिरा। तब कानून–व्यवस्था प्रमुख मुद्दा था। फरवरी 2005 में महिलाओं के मत प्रतिशत में 11 फीसदी गिरावट आई। पर 2010 में महिलाओं का मत प्रतिशत पहली बार पुरुषों से ज्यादा रहा। भाजपा–जदयू गठबंधन की वापसी में इस शांत लहर (साइलेंट वेव) की मुख्य भूमिका मानी गई। 34 महिलाएं चुनाव जीतीं। इस चुनाव में पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 51.1 रहा तो महिलाओं का मतदान प्रतिशत 54.5 फीसदी। महिलाओं ने बूथों पर ही दबंगई नहीं दिखाई चुनावी मैदान में भी अपना दबदबा बढ़ाया। 2010 में सर्वाधिक 307 महिला प्रत्याशी थीं। 34 जीतीं। 1957 में भी 34 महिलाएं विधानसभा पहुंची थीं। उम्मीदवारी और जीत के अनुपात को देखें तो यहां भी महिलाओं ने पिछले चुनाव में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। बिहार कांग्रेस महिला अध्यक्ष अमिता भूषण कहती हैं कि विधायिका में महिलाओं को उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस तो हमेशा महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में रही है। अभी बिहार की जो परिस्थिति है उसमें भी कांग्रेस ने 41 में 5 महिलाओं को टिकट दिया है। वहीं भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष निवेदिता सिंह कहती हैं कि महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए लाया गया संशोधन विधेयक कुछ राजनीतिक पार्टियों के कारण ठंडे बस्ते में चला गया है। इस कारण से चुनाव में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पर रहा है। रालोसपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष यशोदा कुशवाहा कहती हैं कि रालोसपा में महिलाओं की उपेक्षा हुई है। पार्टी ने दो टिकट दिया है। सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया है। 'सेंटर फॉर सोशल रिसर्च' की निदेशक रंजना कुमारी कहती हैं, पुरुष राजनेता नहीं चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल पास हो। यह उनकी राजनीतिक

प्राथमिकता में नहीं है। वे कहती हैं, और जिला स्तर पर महिलाओं के बेहतर काम करने से उन पर दबाव बढ़ा दिया है। वहां महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। इससे राष्ट्रीय स्तर के पुरुष नेताओं को भय हो गया है कि यदि महिलाओं को मौका दिया गया तो वो पुरुषों से अच्छा काम करेंगी और उनके हाथों से सत्ता निकल जाएगी।

बिहार विधानसभा के चुनावों में समाज के विभिन्न वर्गों से संबंध रखने वाले उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। जहां तक महिलाओं का संबंध है, उनमें भी अत्यधिक विविधता देखने को मिल रही है। इनमें मुसहर समुदाय से संबंध रखने वाली मजदूर और स्वीपर उम्मीदवार से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त फैशन डिजाइनर और कालेज अध्यापिका उम्मीदवार तक शामिल हैं। दरभंगा (देहाती) से मार्क्सी (लेनिनवादी) पार्टी की उम्मीदवार शनीचरी देवी मुसहर समुदाय से संबंध रखने वाली एक खेत मजदूर हैं जबकि राम नगर से भाजपा प्रत्याशी महादलित समुदाय की 65 वर्षीय भगीरथी देवी हैं और वह पश्चिमी चंपारण जिले में नरकटियागंज के एक ब्लाक डिवैल्पमैंट कार्यालय में स्वीपर का काम करती थीं। तीन बार विधायक रह चुकी मात्र पांचवीं कक्षा पास भगीरथी देवी इस बार फिर अपना भाग्य आजमा रही हैं। उनका कहना है, "अपने कार्यालय में काम करते हुए हमने देखा कि किस प्रकार यहां अपना काम करवाने के लिए आने वाले गरीब लोगों, विशेषकर महिलाओं को, अधिकारियों द्वारा परेशान और अपमानित किया जाता है। यह सब देख कर मुझे बहुत पीड़ा होती थी और उसी दिन हम सोच लिए थे कि राजनीति में जाएंगे और बाबू लोगों को सबक सिखाएंगे।" इसी कारण 1980 में नौकरी छोड़ने के बाद से भगीरथी देवी ने नरकटियागंज ब्लाक में महिला संगठन खड़े करने और महिलाओं को घरेलू हिंसा, दलितों पर अत्याचार और पुरुषों के बराबर वेतन के मुद्दे पर जागरूक करना शुरू कर दिया।

विश्व का इतिहास और विश्व के प्रगतिशील देशों की राजनीति, सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति इस बात का प्रमाण है कि किसी भी देश की वांछित प्रगति के लिए उस देश की महिलाओं की भागीदारी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा द्वारा घोषित "अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष" एवं "महिला दशक 1990–2000" की समाप्ति तक भी भारत की सम्पूर्ण कार्यात्मक शक्ति में महिला कार्यकर्ताओं की संख्या कम है। विश्व की आधी शक्ति एवं क्षमता होने के बावजूद राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका, उनकी कम भागीदारी तथा कमजोर स्थिति और सहभागिता पर प्रश्नचिन्ह यथावत लगा हुआ है। भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न होने के बावजूद भी वे भारत के आम चुनावों में बहुत कम संख्या में भाग लेती हैं तथा जो भाग लेती हैं वे प्रायः राजनीति की ऊँची कुर्सी तक पहुँचने अथवा उसे प्राप्त करने में असमर्थ रहती है।

समाज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में सत्ता के समीकरणों में प्रायः अपराध ा, अव्यवस्था एवं घोर स्वार्थ की राजनीति है। भारत में महिलाओं की राजनीतिक क्रियाशीलता को जानने के लिए यदि हम भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन करें, तो हमें यह ज्ञात होता है कि भारत में पूर्ववैदिक काल में मातृ–सत्तात्मक परिवार थे परन्तु धीरे–धीरे मध्यकाल तथा आधुनिक काल में भारत में महिलाओं की स्थिति बिगड़ती गयी। भारत के स्वाधीनता आन्दोलन में महात्मा गांधी के विशेष प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से महिलायें देश के राजनीतिक क्षेत्र में आगे आईं। सुधार वादी आन्दोलन के फलस्वरूप भारत के राजनैतिक इतिहास में कई नारियों ने नवयुग के आरम्भ की सूचना दी, जिनमें एनी बेसेन्ट, सरोजिनी नायडू तथा बेगम अम्मन बीबी मुख्य थीं। 1921–22 के असहयोग आन्दोलन में हजारों स्त्रियाँ वोट देने तथा आन्दोलन में भाग लेने निकल पड़ी। 1906 से स्त्रियॉं व्यवस्थापक मण्डल की सदस्या होने लगीं। 1929–32 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दिनों में भारतीय स्त्रियों की यह जागृति और व्यापक हो गयी। तीन हजार से अधिक स्त्रियों ने जुलूसों में भाग लिया, शराब और विदेशी माल की दुकानों पर पिकेटिंग किया, लाठी प्रहार सहा, कठोर जेल यातनायें सहीं, सजायें भुगतीं तथा अपने देश के चरणों पर बलिदान किया। 1942 की जनक्रांति ने नारी जाति के हृदय की विद्रोही भावनाओं को बड़ी तीव्रता के साथ जागृत किया। स्कूल कालेज में पढ़ने वाली छात्रायें, गृहस्थ महिलायें सभी ने अपने हृदय की असंतोष भावना का प्रदर्शन किया और इस आंदोलन में भाग लिया अनेक महिलाओं को कारागार में बन्द कर दिया गया। स्वाधीनता के पश्चात् स्वतंत्र भारत के संविधान में भारतीय महिलाओं को भिन्न–2 क्षेत्रों में समानता के अधिकार प्रदान किये गये हैं, परन्तु विडिम्बना यह है कि उन्हें अब तक भी समाज में समानता के अधिकार नहीं मिले हैं। भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और देश के महत्वपूर्ण पदों पर उनकी उपस्थिति नहीं के बराबर है। आर. सी. सक्सेना ने एक अध्ययन में स्पष्ट किया है कि महिलायें उन्हीं गतिविधियों के भाग लेती हैं, जिनमें भाग लेने के लिए उनके परिवार के पुरूष कहते हैं। राजनीतिक घटनाओं और गतिविधियों के प्रति उनका अपना कोई निर्णय नहीं होता है। ऊषा मेहता और बी कम्पुस्वामी के अनुसार भी स्वतन्त्र भारत की महिलाओं में सामाजिक जागरूकता और राजनैतिक चेतना का अत्यधिक अभाव है तथा स्वन्त्रता के पूर्व महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियाँ अत्यधिक सीमित थीं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष 1995 में बीजिंग में हुए विश्व महिला सम्मेलन से पहले जारी की गयी मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व की संसदों में महिलाओं की औसत संख्या पुरूषों की तुलना में मात्र 10 प्रतिशत थी और मंत्री स्तर की स्थिति तो और भी दयनीय बतायी गयी थी इसमें तो महिलाओं का औसत 6 प्रतिशत ही था। भारत में आजादी के 60 वर्ष बीत जाने के पश्चात्

भी प्रतिनिधियों में महिलाओं के लिए स्थान कम है, यह 10 प्रतिशत से ऊपर नही जा सकी है। इसलिए किसी भी प्रकार का कोटाध्आरक्षण को लागू कर महिलाओं के लिए स्थान बनाना पड़ेगा ताकि महिलाओं को राजनीति में भागीदारी का अवसर प्राप्त हो सके। महिलाओं को अपने अधिकारों को वास्तविक रूप में प्राप्त करने के लिए अब स्वयं को समर्थ और जागरूक बनाना होगा।

भारत में महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अनेक अधिनियम बनाये गये हैं इनमें सती प्रथा के विरूद्ध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम तथा दहेज विरोधी अधिनियम मुख्य हैं। अब तक की नौ पंचवर्षीय योजनाओं में लगभग सभी में महिला शिक्षा एवं परिवार कल्याण योजनाओं को सम्मिलित कर सरकारी स्तर पर कार्यान्वयन का गंभीर तथा महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट जानकारी मिलती है कि यहाँ के राजनीतिक क्षेत्र में कुछ महिलाओं ने स्वयं के बलबूते पर महत्वपूर्ण स्थिति बनायी है, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी का देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होना तथा राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय क्षेत्र में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित एवं सरोजनी नायडू का महत्वपूर्ण स्थान होना महिला राजनीतिक जागृति का शुभ संकेत है। इनके अतिरिक्त श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सुषमा स्वराज, सुश्री उमा भारती, ममता बनर्जी, गिरजा व्यास, मेनका गांधी, मारग्रेट अल्वा तथा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती एवं अन्यान्य महिलायें प्रमुख हैं। ये महिलायें अपनी प्रतिभा, लगन एवं सूझबूझ तथा संघर्ष करने की क्षमता के बूते आगे बढी हैं। यद्यपि आज का प्रदूषित, राजनीतिक वातावरण महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र के लिए किसी प्रकार का आकर्षण नहीं देता, इसके उपरान्त भी भारतीय महिलायें अपनी राजनीतिक चेतना की अभिव्यक्ति करना चाहती हैं।

आज महिलायें अनेक समाजिक, राजनीतिक व आर्थिक मंचों पर अपना स्थान बना रही है। भारत में 1996 में हुए लोकसभा के चुनावों में 8619 पुरूष प्रत्याशियों में से मात्र 5.56 प्रतिशत प्रत्याशी ही विजयी घोषित हुए जबकि चुनाव लड़ने वाली 325 महिला प्रत्याशियों में 11.38 प्रतिशत प्रत्याशी विजयी घोषित हुई। इसी प्रकार फरवरी 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में 59 महिला उम्मीदवारों में से कुल 19 महिलायें विजयी रहीं। पंचायत स्तर की राजनीति में भी महिलाओं की भूमिका सक्रिय रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार 1995 में करीब 10 लाख महिला प्रतिनिधि पंचायतों में थीं जिनमें से करीब 75000 महिलायें अध्यक्ष के रूप में थीं।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के बारे में भिन्न–भिन्न राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण की जानकारी करें तो ज्ञात होता है कि भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा पर्याप्त संख्या में महिलाओं को प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है। मई, 1998 के लोकसभा चुनाव में दलों ने केवल 102 महिला प्रत्याशी

मैदान में उतारे। इतनी कम संख्या में महिला प्रत्याशी मैदान में उतारने के पीछे राजनीतिक दलों का तर्क यह था कि सामान्यतया महिलायें चुनावों में जीत नहीं पातीं किन्तु "वूमेन्स पॉलिटिकल वाच" नामक संस्था के ताजा सर्वेक्षण के अनुसार राजनीतिक दलों की यह धारणा पूर्ण रूपेण निर्मूल, आधारहीन और गलत है।

"वास्तव में भारत की आधी आबादी का एक बहुत बड़ा भाग अभी भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के पीछे भाग रहा है। विकास की धारा इन्हें प्रभावित नहीं कर पायी है। आवश्यकता इस बात की है कि इन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाय। राजनीतिक विकास के मूलतः चार पक्ष हैरू–

1 राजनीतिक जागरूकता

2 राजनीति की भागीदारी

3 राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त करना

4 नेतृत्व प्राप्त कर निर्णयों को प्रभावित करना और दिशा देना

भारत के संविधान के 73वें संशोधन से स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर राजनीतिक विकास के लिए रास्ता बना दिया गया है, इस रास्ते पर चलना और आगे बढ़ना अब उनका दायित्व बन गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त विभिन्न अधिकारों तथा अधिनियमों के फलस्वरूप यद्यपि महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई है। परन्तु इसकी मात्रा अत्यन्त कम है अथवा उच्च स्तर पर नही के बराबर है। आज बहुसंख्यक महिलायें राजनीति में आना ही नहीं चाहती हैं, इसके पीछे क्या कारण है इन पर विचार करना चाहिए। क्या महिलायें भारतीय संविधान में वर्णित राजनीतिक अधिकारों का समुचित उपयोग एवं उपभोग कर रही हैं? क्या वे राजनीतिक दलों के संगठन में प्रतिनिधि के रूप में राजनीतिक सत्ता का उपभोग करने में सफल हो पा रही हैं? प्रत्याशी के रूप में पुरूषों की तुलना में महिलाओं को किस सीमा तक सफलता मिल पा रही है? इन सभी प्रश्नों के व्यावहारिक पक्ष को देखने से यह स्पष्ट है कि वर्तमान समय में भारत में महिलाओं के राजनीतिक विकास में अनेकानेक बाधायें हैं। बाधायें ही उन्हें राजनीति में भाग लेने से दूर रखती हैं तथा वे भी इन बाधाओं के कारण राजनीति से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझती हैं। ये विभिन्न बाधक कारण इस प्रकार हैरू– भारतीय सामाजिक संरचना, महिलाओं में अशिक्षा, महिलाओं में संकोच, परिवार में निर्धनता, बालकऔर बालिकाओं में भेदभाव, नैतिकता का दोहरा मापदण्ड, महिलाओं की आर्थिक पराधीनता, महिलाओं में असुरक्षा का भय, राजनीतिक दलों में सत्ता प्राप्ति एवं दूषित प्रवृत्ति, खर्चीली चुनाव प्रणाली, महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता का अभाव। महिलाओं के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर उन्हें राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाना

चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि सम्पूर्ण महिला समाज ही राजनीति के मैदान में उतर पड़े और सत्ता सुख का उपयोग करें। वस्तुतः आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को पुरूषों के समान एवं समकक्ष समाज में स्थान और सम्मान दिया जाये। उनको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश करने के समान अवसर उपलब्ध करवाये जायें, जिसमें वे सजग प्रहरी की भाँति राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर महिला समाज के अधिकारों की सुरक्षा के साथ–साथ देश और समाज के विकास में पुरूषों के बराबर अपना यथाशक्ति योगदान कर सकें।

महिलाओं की वर्तमान स्थिति को देखते हुए निम्नलिखित प्रयास किये जाने चाहिए ताकि भारतीय महिलायें अन्य क्षेत्रों की भाँति राजनीति क्षेत्र में प्रवेश कर देश की उन्नति में पर्याप्त योगदान दे सकेंरू–

1– सामाजिक संरचना को समानता के आधार पर गठित किया जाय।

2– महिलाओं में साहस, त्याग तथा निर्भिकता की भावनों का विकास करने हेतु उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।

3– प्रारम्भिक स्तर से बालकऔर बालिकाओं को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था करना।

4– समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु समाज का नजरिया बदलना तथा महिलाओं में व्याप्त हीनता की भावना को खत्म करना।

5– प्रशासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा की पूर्ण गारन्टी एवं महिलाओं में बढ़ने वाले अपराधों के प्रति कठोर रूख अपनाना।

6– विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में आने के लिए निःस्वार्थ प्रोत्साहित किया जाये। प्रत्येक राजनैतिक दल द्वारा अपने निजि स्त्रोतों या राजकीय अनुदान से महिला राजनैतिक कार्यकर्ताओं के लिए राहत कोष बनाये जायें।

7– हर स्तर पर महिला आयोग एवं सलाहकार बोर्ड स्थापित किये जायें।

8– प्रशासन द्वारा समय–समय पर महिला आयोजनध्सम्मेलन आयोजित किये जायें जिसमें ग्रामीण महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में आमंत्रित किया जाय ताकि वे अपने सीमित क्षेत्र से बाहर निकल कर अपना राजनीतिक विकास कर सकें।

भारतीय समाज में महिलाओं में राजनीतिक विकास जागृत कर उन्हें पुरूषों के समान स्तर पर लाने के लिए भारतीय समाज एवं प्रशासन दोनों को ही समान रूप से सहयोग करना होगा। गरीबी कम करने, साक्षरता का प्रतिशत बढाने, बेरोजगारी कम करने तथा समाज में व्याप्त असमानता कोदूर करने के प्रयासों के केन्द्र में जब तक भारत की असंख्य नारी समूह को नहीं रखा जायेगा तथा जब

तक स्वयं महिलायें अपनी स्थिति में बदलाव के लिए चौतन्य नहीं होंगी, तब तक राजनीति और सत्ता दोनों ही महिला विकास और महिलाओं से दूर रहेंगे। यद्यपि कुछ हद तक महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता आई है और वे राजनीतिक वर्चस्व की खोज में चूल्हें–चौके से चौपाल की ओर रूख कर चुकीं हैं। राजनीति में जमीन तलाशती आज महिलायें दहलीज के पार हैं, कल तक उसके जो सपने पलकों में ही चिपके रहते थे, आज उन सपनों ने आकार प्राप्त करना शुरू कर दिया है।

अतः यह स्पष्ट है कि महिलायें उस मुकाम पर पहुँचेंगी तो जरूर जहाँ उन्हें पहुँचना है। यदि वह सामाजिक आर्थिक आधार प्राप्त कर लें तो यह प्रक्रिया काफी तेज हो सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करने में पुरूष प्रधान समाज एवं राजनेताओं को सहयोग देना होगा। दोनों को समय के बदलते परिवेश के अनुरूप अपने आपको ढालना होगा। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सिफारिश की थी कि विश्व की संसदों की कुल संख्या का न्यूनतम 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित होना चाहिए। जिसका अनुसरण पंचायतीराज व्यवस्था के द्वारा भारत में किया जा चुका है। सम्भवतः संसद और विधान मण्डलों में भी यह आरक्षण निकट भविष्य में स्वीकृत हो जायेगा। अतः महिलाओं की राजनीति में वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं में जागरूकता लाना और उन्हें नेतृत्व के लिए शिक्षित करना आवश्यक है।

सन्दर्भ

असम गण परिषद प्रफुल्ल कुमार महंत 1985 अस
बीजू जनता दलद्य नवीन पटनायक1997 ओडिशा
बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट हगरामा 1985 मोहिलरी असम
देसिया मुरपोक्कु द्रविडर कड़गम विजयकांत 2005 तमिलनाडु
हरियाणा जनहित कांग्रेस (बीएल) कुलदीप बिश्नोईद्य2007 हरियाणा
हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एच एस लिंगदोहद्य1968 मेघालय
इंडियन नेशनल लोकदल ओमप्रकाश चौटाला1999 हरियाणा
http://pib-nic-in/newsite/PrintRelease-aspÛ\relid¾104537
http://eci-nic-in/eci_main/ElectoralLaws/OrdersNotifications/year2014/EnglishNotification_12032014-pdf
http://eci-nic-in/eci_main/ElectoralLaws/OrdersNotifications/year2014/EnglishNotification_12032014-pdf

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम

डॉ. विनोद कुमार अहिरवार
समाजशास्त्र विभाग
शहीद भगत सिंह महाविद्यालय, जेल रोड, विदिशा

भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार या उत्पीडन को रोकने के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम (The Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989) भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया।

यह कानून एस.सी., एस.टी. वर्ग के सम्मान, स्वाभिमान, उत्थान एवं उनके हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में किये गये विभिन्न प्रावधानों के अलावा इन जातीयों के लोगों पर होने वालें अत्याचार को रोकनें के लिए 16 अगस्त 1989 को उपर्युक्त अधिनियम लागू किये गये। वास्तव में अछूत के रूप में दलित वर्ग का अस्तित्व समाज रचना की चरम विकृति का द्योतक हैं।

भारत सरकार ने दलितों पर होने वालें विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को रोकनें के लिए भारतीय संविधान की अनुच्छेद 17 के आलोक में यह विधान पारित किया। इस अधिनियम में छुआछूत संबंधी अपराधों के विरूद्ध दण्ड में वृद्धि की गई हैं तथा दलितों पर अत्याचार के विरूद्ध कठोर दंड का प्रावधान किया गया हैं। इस अधिनिमय के अन्तर्गत आने वालें अपराध संज्ञेय गैरजमानती और असुलहनीय होते हैं। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 से भारत में लागू हो गया।

यह अधिनियम उस व्यक्ति पर लागू होता हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हैं और इस वर्ग के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करता हैं। अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुसार जो कोई भी यदि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही हैं और इस वर्ग के सदस्यों पर निम्नलिखित अत्याचार का अपराध करता है तो कानून वह दण्डनीय अपराध माना जायेगा–

1. अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जबरन अखाद्य या घृणाजनक (मल मूत्र इत्यादि) पदार्थ खिलाना या पिलाना।

2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को शारीरिक चोट पहुंचाना या उनके घर के आस–पास या परिवार में उन्हें अपमानित करने या क्षुब्ध करने की नीयत से कूड़ा–करकट, मल या मृत पशु का शव फेंक देना।

3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़ा उतारना या उसे नंगा करके या उसके चेहरें पर पेंट पोत कर सार्वजनिक रूप में घुमाना या इसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य करना जो मानव के सम्मान के विरूद्ध हो।

4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के आबंटित भूमि पर से गैर कानूनी–ढंग से खेती काट लेना, खेती जोत लेना या उस भूमि पर कब्जा कर लेना।

5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गैर कानूनी–ढंग से उनकें भूमि से बेदखल कर देना (कब्जा कर लेना) या उनके अधिकार क्षेत्र की सम्पत्ति के उपभोग में हस्तक्षेप करना।

6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य को भीख मांगनें के लिए मजबूर करना या उन्हें बुंधुआ मजदूर के रूप में रहने को विवश करना या फुसलाना।

7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य को वोट (मतदान) नहीं देने देना या किसी खास उम्मीदवार को मतदान के लियें मजबूर करना।

8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरूद्ध झूठा, परेशान करने की नीयत से इसे पूर्ण अपराधिक या अन्य कानूनी आरोप लगा कर फंसाना या कारवाई करना।

9. किसी लोक सेवक (सरकारी कर्मचारीध अधिकारी) को कोई झूठा या तुच्छ सूचना अथवा जानकारी देना और उसके विरूद्ध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति पहुंचाने या क्षुब्ध करने के लियें ऐसें लोक सेवक उसकी विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग करना।

10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जानबूझकर जनता की नजर में जलील कर अपमानित करना, डराना।

11. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी महिला सदस्य को अनादार करना या उन्हें अपमानित करने की नीयत से शील भंग करने के लिए बल का प्रयोग करना।

12. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी महिला का उसके इच्छा के विरूद्ध या बलपूर्वक यौन शोषण करना।

13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लायें जाने वालें जलाशय

या जल स्त्रोतों का गंदा कर देना अथवा अनुपयोगी बना देना।

14. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को किसी सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोकना, रूढ़ीजन्य अधिकारों से वंचित करना या ऐसे स्थान पर जानें से रोकना जहां वह जा सकता हैं।

15. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपना मकान अथवा निवास स्थान छोड़नें पर मजबूर करना या करवाना।

अनुसूचित जातिध्जनजाति कल्याण हेतु की गई व्यवस्था

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५ के अन्तर्गत वर्ष १९७४ में ६ (अ.जा.क.) पुलिस थाने प्रदेश में स्थापित किये गये थे जो अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम १९८९ के क्रियान्वयन के पद्गचात प्रदेश के समस्त ५० जिलों में ४८ अ.जा.क. विद्गोष पुलिस थाने स्थापित है इन थानों में पंजीबद्ध अपराधों के अनुसंधान हेतु प्रदेश के ५० जिलों में से ४५ जिलों में उप पुलिस अधीक्षक अ.जा.क. की पदस्थापना की गई है द्गोष ५ जिले क्रमशः अशोकनगर,अनूपपुर ,बुरहानपुर,सिंगरौली एवं अलीराजपुर में पदस्थापना हेतु प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । अ.जा.ध्ज.जा. के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों की संखया को दृष्टिगत रखते हुये अ.जा.क. जोन में पदस्थ निरीक्षकों को वनस्टेप प्रमोशन दिया जाकर अनुसंधान के अधिकार सौपें गये हैं । साथ ही अ.जाध्अ.जा. के प्रकरणों में पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हेतु १० पुलिस अधीक्षक अजाक को रेंज में पदस्थ किया गया है साथ ही अनुसूचित जातिध् जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम १९८९ के प्रकरणों मे विधि सम्मत अभिमत प्राप्त करने हेतु एक उप संचालक अभियोजन की पदस्थापना अजाक पुलिस मुखयालय में की गई है ।

दण्ड

ऊपर वर्णित अत्याचार के अपराधों के लियें दोषी व्यक्ति को छः माह से पाँच साल तक की सजा, अर्थदण्ड (फाइन) के साथ प्रावधान हैं। क्रूरतापूर्ण हत्या के अपराध के लिए मृत्युदण्ड की सजा है। अधि नियम की धारा 3 (2) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हैं और–

यदि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के खिलाफ झूठा गवाही देता है या गढ़ता हैं जिसका आशय किसी ऐसे अपराध में फँसाना हैं जिसकी सज़ा मृत्युदंड या आजीवन कारावास जुर्मानें सहित है। और इस झूठें गढ़ें हुयें गवाही के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य को फाँसी की सजा दी जाती हैं तो ऐसी झूठी गवाही देने वालें मृत्युदंड के भागी होंगें।

यदि वह मिथ्या साक्ष्य के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी

ऐसे अपराध के लियें दोष सिद्ध कराता हैं जिसमें सजा सात वर्ष या उससें अधिक है तो वह जुर्माना सहित सात वर्ष की सजा से दण्डनीय होगा।

आग अथवा किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा किसी ऐसे मकान को नष्ट करता हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता हैं, वह आजीवन कारावास के साथ जुर्मानें से दण्डनीय होगा।

लोक सेवक होत हुयें इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह एक वर्ष से लेकर इस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय होगा। अधिनियम की धारा 4 (कर्तव्यों की उपेक्षा के दंड) के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारीध्अधिकारी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही हैं, अगर वह जानबूझ कर इस अधिनियम के पालन करनें में लापरवाही करता हैं तो वह दण्ड का भागी होता। उसे छः माह से एक साल तक की सजा दी जा सकती हैं।

अन्य प्रावधान

धारा–14 (विशेष न्यायालय की व्यवस्था) के अन्तर्गत इस अधिनियम के तहत चल रहे मामले को तेजी से ट्रायल (विचारण) के लियें विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इससे फैसलें में विलम्ब नहीं होता हैं और पीड़ित को जल्द ही न्याय मिल जाता हैं। धारा–15 के अनुसार इस अधि ानियम के अधीन विशेष न्यायालय में चल रहें मामलें को तेजी से संचालन के लिये एक अनुभवी लोक अभियोजक (सरकारी वकील) नियुक्त करने का प्रावधान हैं। धारा–17 के तहत इस अधिनियम के अध ीन मामलें से संबंधित जाँच पड़ताल डी.एस.पी. स्तर का ही कोई अधिकारी करेगा। कार्यवाही करने के लियें पर्याप्त आधार होने पर वह उस क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त घोषित कर सकेगा तथा शांति और सदाचार बनायें रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा तथा निवारक कार्यवाही कर सकेगा। ध ारा–18 के तहत इस अधिनियम के तहत अपराध करने वालें अभियुक्तों को जमानत नहीं होगी।

धारा–21 (1) में कहा गया हैं कि इस अधिनियम के प्रभावी ढंग ये कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकार आवश्यंक उपाय करेगी। (2) (क) के अनुसार पीड़ित व्यक्ति के लियें पर्याप्त के लियें सुविधा एवं कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई हैं। (ख) इस अधिनियम के अधीन अपराध के जाँच पड़ताल और ट्रायल (विचारण) के दौरान गवाहों एवं पीड़ित व्यक्ति के यात्रा भत्ता और भरण–पोषण के व्यय की व्यवस्था की गई हैं। (ग) के अन्तर्गत सरकार पीड़ित व्यक्ति के लियें आर्थिक सहायता एवं सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। (घ) के अनुसार ऐसे क्षेत्र का पहचान करना तथा उसके लियें समुचित उपाय करना जहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्यधिक अत्याचार होते हैं। अधि

ानियम की धारा 21 (3) के अनुसार केन्द्र सरकार राज्य सरकार द्वारा अधिनियम से संबंधित उठायें गयें कदमों एवं कियें गयें उपायों में समन्यव के लियें आवश्यकतानुसार सहायता करेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 यह नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का ही विस्तार हैं। अधिनियम के अधीन दर्ज मामलें को और अधिक प्रभावी बनानें तथा पीड़ित व्यक्ति को त्वरित न्याय एवं मुआवजा दिलाने के लियें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 पारित किया गया हैं।

धारा 5 (1) (थाना में थाना प्रभारी को सूचना संबंधी)– इसके अनुसार अधिनियम के तहत किये गयें अपराध के लियें प्रत्येंक सूचना थाना प्रभारी को दियें जानें का प्रावधान हैं। यदि सूचना मौखिक रूप से दी जाती हैं तो थाना प्रभारी उसे लिखित में दर्ज करेंगें। लिखित बयान को पढ़कर सुनायेंगें तथा उस पर पीड़ित व्यक्ति का हस्ताक्षर भी लेंगें। थाना प्रभारी मामलें को थाना के रिकार्ड में पंजीकृत कर लेगें। (2) उपनियम के तहत दर्ज एफ.आई. आर. की एक कॉपी पीड़ित को निःशुल्क दिया जायेगा। (3) अगर थाना प्रभारी एफ.आई. आर. लेने से इन्कार करतें हैं तो पीड़ित व्यक्ति इसे रजिस्ट्री द्वारा एस. पी. को भेज सकेगा। एस.पी. स्वंय अथवा डी. एस.पी. द्वारा मामलें की जाँच पड़ताल करा कर थाना प्रभारी को एफ.आई. आर.दर्ज करने का आदेश देंगें।

धारा–6 के अनुसार डी.एस.पी. स्तर का पुलिस अधिकारी अत्याचार के अपराध की घटना की सूचना मिलतें ही घटना स्थल का निरीक्षण करेगा तथा अत्याचार की गंभीरता और सम्पत्ति की क्षति से संबंधित रिर्पोट राज्य सरकार को सौंपेगा।

धारा–7 (1)–के तहत इस अधिनियम के तहत कियें गयें अपराध की जाँच डी.एस.पी. स्तर का पुलिस अधिकारी करेगा। जाँच हेतु डी.एस.पी. की नियुक्ति राज्य सरकारध्डी.जी.पी. अथवा एस.पी. करेगा। नियुक्ति के समय पुलिस अधिकारी का अनुभव, योग्यता तथा न्याय के प्रति संवेदनशीलता का ध्यान रखा जायेगा। जाँच अधिकारी (डी.एस.पी.) शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर घटना की जाँच कर तीस दिन के भीतर जाँच रिर्पोट एस.पी.को सौपेगा। इस रिर्पोट को एस.पी.तत्काल राज्य के डी.जी.पी. को अग्रसारित करेगें।

धारा–11 (1) में यह प्रावधान किया गया हैं कि मामलें की जाँच पड़ताल, ट्रायल (विचारण) एवं सुनवाई के समय पीड़ित व्यक्ति उसके गवाहों तथा परिवार के सदस्यों को जाँच स्थल अथवा न्यायालय जाने आने का खर्च दिया जायेगा। (2) जिला मजिस्ट्रेटध एस.डी.एम. या कार्यपालक दंडाधिकारी अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति और उसके गवाहों के लियें न्यायालय जानें अथवा जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने के लियें यातायात की व्यवस्था करेगा अथवा इसका लागत खर्च भुगतान करने की व्यवस्था

करेगा।

धारा 12 (1) में कहा गया हैं कि जिला मजिस्ट्रेट और एस.पी. अत्याचार के घटना-स्थल की दौरा करेंगें तथा अत्याचार की घटना का पूर्ण ब्यौरा भी तैयार करेंगें। (3) एस.पी. घटना के मुआवजा करनें के बाद पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेंगें तथा आवश्यकतानुसार उस क्षेत्र में पुलिस बल की नियुक्ति करेंगें। (4) के अनुसार डी.एम.ध्एस.डी.एम. पीड़ित व्यक्ति तथा उसके परिवार के लियें तत्काल राहत राशि उपलब्ध करायेंगें साथ ही उचित मानवोचित सुविधा प्रदान करायेगें।

संदर्भ –

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम
2. अवध प्रसाद 1997 गांवों में सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तन रावत पब्लिकेशन जयपुर
3. आहूजा राम 1998 सामाजिक समस्याऐं रावत पब्लिकेशन जयपुर बोगार्ड्स, ई. एस. 1936 इन्ट्रोडक्शन टू न्यूयार्क सोशल रिसर्च
4. Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989
5. Fuchs] Stephen- "Thirty Korku Dancing Songs-" Asian Folklore Studies- no- 1 (2000): 109&140- JSTOR 1179030
6. Sengupta] Papia- "Endangered Languages: Some Concerns-" Economic And Political Weekly- no- 32 (2009): 17&19- JSTOR 25663414

http://www.wikiwand.com/hi/81

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर बुद्धि के प्रभाव का अध्ययन

अर्चना श्रीवास्तव
शोधार्थी, शिक्षा संकाय, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
डॉ. एन.के. कौशिक
पूर्व प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शिक्षा संकाय
राजीव गाँधी महाविद्यालय, त्रिलंगा, भोपाल

प्रस्तुत शोध पत्र में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर बुद्धि के प्रभाव अध्ययन किया गया है। न्यादर्श के रूप में 400 विद्यार्थियों (200 शहरी एवं 200 ग्रामीण) का चयन कर उन पर 'बौद्धिक स्तर मापनी' (मिक्सड ग्रुप टेस्ट ऑफ इन्टेलिजेंस) का प्रशासन किया गया तथा शैक्षिक उपलब्धि के मापन के लिए माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं की वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का उपयोग किया गया। प्राप्त परिणामों के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर बुद्धि का सार्थक प्रभाव पाया गया।

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के साथ ही, उन्हें एक सफल नागरिक बनाना भी है। विद्यार्थियों के भावी जीवन की सफलता उनकी शैक्षणिक उपलब्धि पर निर्भर करती है, क्योंकि वर्तमान समय के प्रतिस्पर्धा के युग में सफल होने की संभावना व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान पर निर्भर करती है और अर्जित ज्ञान को अंकों व ग्रेड में व्यक्त किया जाता है, यदि

विद्यार्थी अपनी अंकतालिका में बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे उच्च शिक्षा हेतु श्रेष्ठ संस्थानों में प्रवेश मिलने में आसानी होती है, जहां पर एक बेहतर भविष्य उनकी राह देख रहा होता है। अतः वर्तमान समय में शैक्षणिक उपलब्धि की उपेक्षा करना संभव नहीं है। शैक्षणिक उपलब्धि के निर्धारण में विभिन्न कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जिनमें पारिवारिक वातावरण, बुद्धि एवं अनुवांशिकता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न शोध अध्ययनों द्वारा भी यह सिद्ध किया जा चुका है, कि शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में वातावरण व बुद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि विद्यार्थियों को सकारात्मक वातावरण मिलता है, तो उनमें बेहतर शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है, साथ ही बुद्धि शैक्षणिक उपलब्धि के निर्धारण में अहम् भूमिका रखती है एवं जीवन में सफलता के पथ पर अग्रसर करती है। विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के निर्धारण में बुद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण शैक्षणिक उपलब्धि पर बुद्धि के प्रभाव का अध्ययन करना बहुत ही सामयिक प्रतीत हो रहा है।

प्रस्तुत शोध से संबंधित पूर्व में भी कुछ शोध कार्य किये गये हैं जैसे – भुसारी, सी.वी. (1988) ने अपने अध्ययन के निष्कर्षतः पाया कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की बुद्धि तथा प्रायः सभी विषयों में शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य धनात्मक सहसंबंध पाया गया। कौले, हर्नेक सिंग (1988) ने अपने अध्ययन के निष्कर्षतः पाया कि मातृभाषा तथा विदेशी भाषा में शैक्षणिक उपलब्धि के निर्धारण में बुद्धि व सृजनात्मकता की महत्वपूर्ण भूमिका पाई गई। कुमार, राजीव (1989) ने पाया कि शैक्षिक उपलब्धि तथा बुद्धि के मध्य सार्थक सहसंबंध है, ग्रामीण तथा शहरी विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। देवी, उज्जवला (1990) ने अपने अध्ययन के निष्कर्षतः पाया कि शैक्षिक उपलब्धि तथा बुद्धि के मध्य सार्थक एवं धनात्मक सहसंबंध पाया गया। चड्ढ़ा, एन.के. व चन्दना, सुनंदा (1990) ने अपने अध्ययन के निष्कर्षतः पाया कि बुद्धि तथा शैक्षिक उपलब्धि के मध्य धनात्मक एवं सार्थक सह–संबंध पाया गया।

कौर, परिवन्दर (1992) ने अपने अध्ययन के निष्कर्षतः पाया कि शैक्षिक उपलब्धि तथा बुद्धि के मध्य सार्थक सहसंबंध पाया गया एवं विभिन्न विषयों की शैक्षिक विषयों के निर्धारण में बुद्धि को महत्वपूर्ण प्रेरक माना गया। अरोरा, आर.के.(1992) ने अपने अध्ययन के निष्कर्षतः पाया कि सभी उच्च बुद्धि समूह के सदस्यों की शैक्षणिक उपलब्धि निम्न बुद्धि समूह की तुलना में उच्च पाई गई। गर्ग, चित्रा (1992) ने अपने अध्ययन के निष्कर्षतः पाया कि हाईस्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान, अभिभावकों द्वारा बेहतर रूप से स्वीकृत तथा सामाजिक व आर्थिक रूप से बेहतर समायोजित पाये गये। गर्ग, वी.पी. तथा चतुर्वेदी, सीमा (1992) ने

अपने अध्ययन के निष्कर्षतः पाया कि शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में बुद्धिलब्धि तथा शैक्षणिक प्रदर्शन के मध्य रेखीय संबंध प्राप्त हुआ। ग्रामीण विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि, शहरी विद्यार्थियों की तुलना में निम्न पायी गयी। वर्मा, उर्मिला दवे, अर्चना एवं निगम, भूपेन्द्र (2011) ने आपने अध्ययन में पाया कि पारिवारिक वातावरण का छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक योग्यता–सामान्य बुद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पाया गया तथा सामान्य से अच्छे पारिवारिक वातावरण वाले छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की सामान्य बुद्धि, सामान्य से निम्न पारिवारिक वातावरण वाले छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक पाई गई।

उद्देश्य :–

1. शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर बुद्धि के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर बुद्धि के प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पना :–

1. शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर बुद्धि का सार्थक प्रभाव नहीं पाया जायेगा।
2. ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर बुद्धि का सार्थक प्रभाव नहीं पाया जायेगा।

उपकरण :–

1. मिक्सड ग्रुप टेस्ट ऑफ इन्टेलिजेंस (डळज्) – डॉ. पी.एन. मेहरोत्रा
2. शैक्षिक उपलब्धि के मापन के लिए सत्र 2014–15 में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं की वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का उपयोग किया गया।

विधि :–

सर्वप्रथम भोपाल जिले के शहरी क्षेत्र में स्थित चार विद्यालयों एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित चार विद्यालयों का चयन किया गया तथा इन विद्यालयों की कक्षा दसवीं में अध्ययनरत् 400 विद्यार्थियों {200 शहरी (100 छात्र एवं 100 छात्राऐं) + 200 ग्रामीण (100 छात्र एवं 100 छात्राऐं)} का चयन साधारण यादृच्छिक विधि द्वारा कर उन पर 'बौद्धिक स्तर मापनी' (मिक्सड ग्रुप टेस्ट ऑफ इन्टेलिजेंस) का प्रशासन किया गया एवं शैक्षिक उपलब्धि के मापन के लिए सत्र 2014–15 में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं की वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का उपयोग किया गया। बौद्धिक स्तर के

आधार पर विद्यार्थियों को उच्च एवं निम्न समूह में विभाजित किया गया। प्राप्तांकों के आधार पर मास्टर शीट तैयार की गई। मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रांतिक अनुपात परीक्षण के द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण किया गया प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकाले गये।

परिणामों का विश्लेषण :–

परिकल्पना – 1 : शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर बुद्धि का सार्थक प्रभाव नहीं पाया जायेगा।

तालिका क्रमांक – 1

शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर बौद्धिक स्तर के प्रभाव संबंधी तुलनात्मक परिणाम

समूह	बौद्धिक स्तर	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात मान	'पी' मान
छात्र	उच्च	44	63.66	7.13	6.94	<0.01
	निम्न	56	52.41	9.05		
छात्रा	उच्च	41	67.90	8.29	7.59	<0.01
	निम्न	59	54.24	9.63		
विद्यार्थी	उच्च	85	65.78	7.88	10.20	<0.01
	निम्न	115	53.33	9.38		

स्वतंत्रता के अंश – 98, 198 0.01 स्तर के लिये निधारित न्यूनतम मान – 2.63, 2.60

उपरोक्त सारणी में प्रदर्शित परिणामों से स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्र के उच्च एवं निम्न बौद्धिक स्तर वाले छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक अंतर है, क्योंकि तीनों समूहों के लिए प्राप्त क्रांतिक अनुपात के मान क्रमशः 6.94, 7.59, 10.20 स्वतंत्रता के अंश 98, 198 पर सार्थकता के 0.01 स्तर के लिये निर्धारित न्यूनतम मान 2.63, 2..60 की अपेक्षाकृत अधिक हैं। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्र के उच्च एवं निम्न बौद्धिक स्तर माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक अंतर पाया गया तथा उच्च बौद्धिक स्तर वाले छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों में, निम्न बौद्धिक स्तर वाले छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की तुलना में बेहतर शैक्षणिक उपलब्धि पाई गयी, अर्थात् शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर बौद्धिक स्तर का सार्थक प्रभाव पाया गया।

अतः उपरोक्त परिणामों के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में ली गई परिकल्पना "शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर बुद्धि का सार्थक प्रभाव नहीं पाया जायेगा" अस्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना – 2 : ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि I पर बुद्धि का सार्थक प्रभाव नहीं पाया जायेगा।

तालिका क्रमांक – 2

ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर बौद्धिक स्तर के प्रभाव संबंधी तुलनात्मक परिणाम

समूह	बौद्धिक स्तर	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात मान	'पी' मान
छात्र	उच्च	39	69.23	8.19	11.69	<0.01
	निम्न	61	48.66	9.15		
छात्रा	उच्च	43	64.56	7.78	6.62	<0.01
	निम्न	57	52.44	10.56		
विद्यार्थी	उच्च	82	66.90	7.97	12.98	<0.01
	निम्न	118	50.55	9.85		

स्वतंत्रता के अंश – 98, 198 0.01 स्तर के लिये निधार्रित न्यूनतम मान – 2.63, 2.60

उपरोक्त सारणी में प्रदर्शित परिणामों से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र के उच्च एवं निम्न बौद्धिक स्तर वाले छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक अंतर है, क्योंकि तीनों समूहों के लिए प्राप्त क्रांतिक अनुपात के मान क्रमशः 11.69, 6.62, 12.98 स्वतंत्रता के अंश 98, 198 पर सार्थकता के 0.01 स्तर के लिये निर्धारित न्यूनतम मान 2.63, 2.60 की अपेक्षाकृत अधिक हैं।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के उच्च एवं निम्न बौद्धिक स्तर वाले माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक अंतर पाया गया तथा उच्च बौद्धिक स्तर वाले छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों में, निम्न बौद्धिक स्तर वाले छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की तुलना में बेहतर शैक्षणिक उपलब्धि पाई गयी, अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों

की शैक्षणिक उपलब्धि पर बौद्धिक स्तर का सार्थक प्रभाव पाया गया।

अतः उपरोक्त परिणामों के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में ली गई परिकल्पना " ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर बुद्धि का सार्थक प्रभाव नहीं पाया जायेगा" अस्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष :–

1. शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर बुद्धि का सार्थक प्रभाव पाया गया।
2. ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर बुद्धि का सार्थक प्रभाव पाया गया।
3. परिणामों की व्याख्या :–

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्च एवं निम्न बौद्धिक स्तर वाले छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक अंतर पाया जाना तथा उच्च बौद्धिक स्तर वाले छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों में, निम्न बौद्धिक स्तर वाले छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की तुलना में बेहतर शैक्षणिक उपलब्धि पाया जाना इस बात का द्योतक है कि बौद्धिक स्तर, शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करने में बुद्धि प्रमुख भूमिका निभाती है। अनेक मनौवैज्ञानिकों ने बुद्धि को समस्या समाधान, तर्क, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, सीखने की योग्यता माना है एवं विभिन्न विषयों का सम्बन्ध इन्हीं सब योग्यतों से संबंधित हैं। अतः प्राप्त परिणाम मनोविज्ञानिकों के कथन की पुष्टि करते हैं और उच्च बुद्धि वाले छात्र, छात्रा एवं विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के मध्यमान, निम्न बुद्धि वाले छात्र, छात्रा एवं विद्यार्थियों से अधिक आना इस बात का द्योतक है कि शैक्षणिक उपलब्धि का संबंध मुख्यतः छात्र, छात्रा एवं विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर से है। चड्डा, एन.के. (1990) के अध्ययन में प्राप्त परिणाम इस परिणाम की पुष्टि करते है उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि बुद्धि एवं शैक्षिक उपलब्धि के बीच धनात्मक संबंध है। इसी प्रकार का परिणाम अरोरा, आर.के. (1992) ने भी अपने अध्ययन में निष्कर्ष स्वरूप प्राप्त किया। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि उच्च बौद्धिक स्तर वाले समूहों की शैक्षिक उपलब्धि निम्न बौद्धिक स्तर वाले समूह की तुलना में उच्च पाई गई। गर्ग, चित्रा (1992) ने अपने अध्ययन के निष्कर्षतः पाया कि हाईस्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान पाये गये। अतः प्रस्तुत परिणामों की पुष्टि चड्डा (1990), अरोरा (1992), गर्ग (1992)के शोध कार्यों से प्राप्त परिणामों से होती है, इन सभी अध्ययनों में भी यह पाया गया था की बेहतर बौद्धिक स्तर होने पर शैक्षणिक उपलब्धि भी बेहतर होती है।

// संदर्भ ग्रंथ सूची //

1. गुप्ता, एस. पी. (2005) "सांख्कीय विधियां", शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
2. सिंह, अरूण कुमार (2005) "शिक्षा मनोविज्ञान", भारती भवन पब्लिशर्स, पटना
3. वालिया, जे.एस. (2005) "शिक्षा मनोविज्ञान की बुनियादें", पाल पब्लिशर्स, जालंधर
4. वर्मा, उर्मिला दवे, अर्चना एवं निगम, भूपेन्द्र (2011) "विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का उनकी संज्ञानात्मक योग्यता सामान्य बुद्धि पर प्रभाव का अध्ययन", रिसर्च हंट, वाल्यूम 4, इश्यु 4, दिसंबर 2011, पृष्ठ क्रमांक 301–308
5. Bhusari, C.V. (1988) "Intelligence of scheduled castes and scheduled Tribes students and its correlation with their scholastic achievement in Vidarbha", Ph.D., Edu. Nagpur Univ., In Fifth Survey of Research in Education. (1988-92), Vol II, Pg. No. 1864
6. Devi, Ujwala A. (1990) "Pupils academic achievement in relationship to their intelligence, neuroticism and locus of control", M.Phil, Edu. Annamclai Univ. Fourth Survey Edu. Research, Vol. II Page No. 1869-1870.
7. Garg, Chitra, (1992) "A study of family relations, socio-economic status, intelligence and adjustment of failed high school students", Ph.D., Edu. Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal Univ., In Fifth Survey of Research in Education. (19892), Vol II, Pg. No. 1874.
8. Garg V.P. and Chaturvedi, Seema (1992) "Intelligence and socio-economic status as correlates of academic performance: Some field evidences", Indian Educational Review, Vol. 27(3): 107-10, In Fifth Survey of Research in Education. (1988-92), Vol II, Pg. No. 1875
9. Kaile, Harnek Singh (1988) "Intelligence and creativity as predictors of scholastic achievement in mother tongue and foreign language at different levels of socio-economic status", Ph.D., Education, Panjab Univ., In Fifth Survey of Research in Education. (1988-92), Vol II, Pg. No. 1880
10. Kaur, Parvindes. 1992 "Relationship among creetivity, intelligence and

academic achivement in different subject of X Grddess", Ph.D., Edu. Punjabi Univ. Fourth Survey of Edu. Research, Vol. II Page 1881-1882

11. Kumar, Rajeev (1989) "Children's cuviosity, intelligence and scholastic achievement", Ph.D., Edu. Agra Univ. Forth Survey of Edu. Research, Vol. II, Page No. 1884

12. Mehrotra, P. N. (2003) Manual of Mixed Group Test of Intelligence, NPC, Agra.

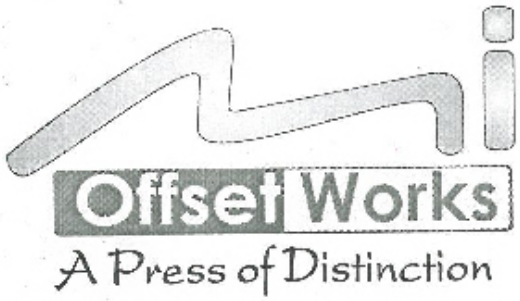

mi Offset Works
A Press of Distinction

9893086017
9993673675
8085556284

एम. आई. आफसेट वर्क्स

सभी प्रकार के मल्टीकलर पोस्टर, पम्पलेट,
ब्रोशर, बैनर, दैनिक/साप्ताहिक समाचार
पत्रों एवं मासिक पत्रिकाओं
की आफसेट मशीन द्वारा
छपाई उचित दामों पर की जाती है।

एक बार अवश्य पधारें

कार्यालय 105, बजाज काम्पलेक्स, चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल
प्रधान कार्यालय : 91, रशीदिया स्कूल के पास, बरखेड़ी, भोपाल
mioffset@yahoo.com, mioffset@gmail.com

TAKSHSHILA COLLEGE

SINCE 1996

Gram - Jhirniya, Post-Mugalia Hat, Parwaliya Sadak, NH-12, Bicara Road, Bhopal

Recognised by NCTE New Delhi, Govt. of Madhya Pradesh & Affiliated to Barkatullah University, Bhopal, M.P. Board of Sec. Education (M.P.)

Admission Through Online Counseling

Courses Offered

Under Graduate Programs

- **B.Com.** (Plain, Computers, Tax Procedure & Practice)
- **B.Sc.** (Mathematics, I.T., CS, Electronics, Chemistry, Physics, Zoology, Botany, Microbiology, Bio-tech)
- **B.C.A.** (Computer Application)
- **B.A.** (History, Economics, Political Science, Hindi/English Literature, Sociology)
- **B.B.A.**

Post Graduate Programs

- **M.Sc.** (Computer Science, Chemistry)
- **M.Com.** (Tax, Management)
- **M.C.M.**
- **P.G.D.C.A.**

B.Ed., D.Ed./D.El.Ed.

Facility

- Govt. Scholarship facility available.
- Bilingual Teaching Faculty (Hindi, English).
- Well Experience & Qualified staff.
- College Bus facility.
- Well Equipped Laboratory of all practical subject.
- Internet & Wi-Fi Campus.
- Huge Digital Library.
- Training & Placement Cell.
- Canteen facility.
- Personality development classes.
- Indoor and Outdoor Games facility.

College level Scholarship for Deserving Students

M.P. Online Kiosk Facility Available

Admission Helpline No. : 9893014415, 9893421526, 7771049449

तक्षशिला कॉलेज

SINCE 1996

ग्राम झिरनिया, पोस्ट-मुगालिया हाट, परवलिया सड़क, एनएच-12, ब्यावरा रोड़, भोपाल

(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली एवं म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त तथा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध)

Courses Offered

Under Graduate Programs

- **B.Com.** (Plain, Computers, Tax Procedure & Practice)
- **B.Sc.** (Mathematics, I.T., CS, Electronics, Chemistry, Physics, Zoology, Botany, Microbiology, Bio-tech)
- **B.C.A.** (Computer Application)
- **B.A.** (History, Economics, Political Science, Hindi/English Literature, Sociology)
- **B.B.A.**

Post Graduate Programs

- **M.Sc.** (Computer Science, Chemistry)
- **M.Com.** (Tax, Management)
- **M.C.M.**
- **P.G.D.C.A.**

B.Ed., D.Ed./D.El.Ed.

1995 से लगातार

विगत 19 वर्षों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित अग्रणीसंस्थान

रचना नगर भोपाल से ग्राम झिरनिया, पोस्ट-मुगालिया हाट, परवलिया सड़क, एनएच-12, ब्यावरा रोड़, भोपाल नवीन एवं विशाल भवन में स्थानांतरित

प्रवेश Online Counseling

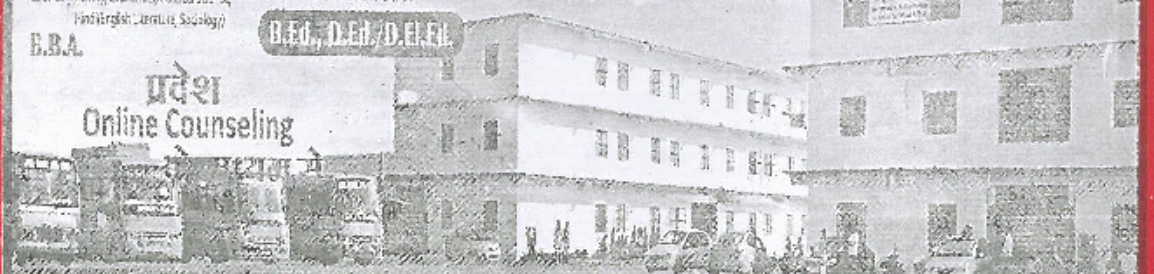

Admission Helpline No. : 9893014415, 9893421526, 7771049449